[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2020 का विधेयक संख्यांक 22

नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा ।
3. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति

4. केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड का गठन ।
5. बोर्ड की संरचना, बोर्ड के सदस्यों के निबंधनों और शर्तें ।
6. बोर्ड की बैठकें ।
7. समितियों का गठन और विशेषज्ञों की नियुक्ति ।
8. बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।
9. रजिस्ट्रीकरण समिति का गठन उसकी संरचना और उसके सदस्य के पदावधि ।
10. बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के नियोजन पर निर्बंधन ।
11. रिक्तियों, आदि का बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति की कार्यवाहियों द्वारा अविधिमान्य न होना ।
12. उपसमितियों का विशेषज्ञों के सहयोजित किए जाने पर गठन ।
13. रजिस्ट्रीकरण समिति की बैठकें ।
14. रजिस्ट्रीकरण समिति की शक्तियां और कृत्य ।
15. केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के लिए सचिवालय ।

अध्याय 3

नाशकजीवमारों का रजिस्ट्रीकरण

16. नाशकजीवमारों को रजिस्ट्रीकृत करने की अपेक्षा ।
17. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।
18. रजिस्ट्रीकरण के बारे में विनिश्चय ।
19. सामान्य नाशकजीवमारों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना ।
20. संप्रेक्षण के लंबित रहने के दौरान अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।
21. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन ।
22. रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन, निलंबन और रद्द किया जाना तथा नाशक जीवमारों पर पाबंदी ।
23. कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ।
24. रजिस्ट्रीकरण समिति के निर्णय से अपील ।

खंड

25. केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण की शक्ति ।
26. नाशकजीवमारों का राष्ट्रीय रजिस्टर ।

अध्याय 4

अनुज्ञप्ति का दिया जाना

27. अनुज्ञापन अधिकारी ।
28. अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा ।
29. अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।
30. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण और संशोधन ।
31. कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन अनुज्ञप्तियां ।
32. अनुज्ञप्तियों, विक्रय और स्टाक स्थिति की सूचना ।
33. अनुज्ञापन अधिकारी के निर्णय से अपील ।

अध्याय 5

नाशकजीवमार निगरानी और लोक हित में प्रतिषेध

34. विषाक्तता की अधिसूचना और निधि का गठन ।
35. लोक हित में नाशकजीवमारों पर प्रतिषेध और नाशकजीवमारों पर पाबंदी ।
36. नाशकजीवमारों पर राज्य-स्तरीय डाटाबेस ।

अध्याय 6

नाशकजीवमार प्रयोगशाला और नाशकजीवमार का विश्लेषण

37. केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला ।
38. नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला ।
39. नाशकजीवमार विश्लेषक और नाशकजीवमार निरीक्षक ।
40. नाशकजीवमार निरीक्षक की शक्तियां ।
41. नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।
42. नाशकजीवमार विश्लेषक की रिपोर्ट ।

अध्याय 7

अपराध और दंड

43. बाधा पहुंचाने के लिए दंड ।
44. रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्तिकरण की शर्तों के अतिक्रमण के लिए दंड ।
45. नाशकजीवमारों के आयात और निर्यात से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दंड ।
46. अरजिस्ट्रीकृत और गैर अनुज्ञप्त नाशकजीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड ।
47. मिथ्याकथित नाशकजीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड ।
48. प्रतिबंधित नाशकजीवमार आदि को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड ।
49. उपहति, घोर उपहति या मृत्यु कारित करने के लिए दंड ।
50. पश्चातवर्ती अपराध ।
51. दोषसिद्धि के पश्चात् कार्रवाइयां ।
52. कंपनियों द्वारा अपराध ।

खंड

53. अपराधों का संज्ञान और विचारण ।

54. इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की प्रतिरक्षाएं ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

55. नाशकजीवमार गुणों वाले पदार्थों का विनियमन ।

56. छूट ।

57. नाशकजीवमारों की कीमत ।

58. केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

59. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

60. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

61. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन प्रतिकर ।

62. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

63. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

64. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

65. निरसन और व्यावृत्ति ।

[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2020 का विधेयक संख्यांक 22

[दि पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल, 2020 का हिन्दी अनुवाद]

नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020

नाशकजीवमार, जिनके अंतर्गत सुरक्षित और प्रभावी नाशकजीवमारों की उपलभ्यता को सुनिश्चित करने के लिए उनका विनिर्माण, आयात, पैक करना, लेबल लगाना, कीमत निर्धारित करना, भंडारण, विज्ञापन, विक्रय, परिवहन, वितरण, उपयोग और निपटान भी है, को विनियमित करने के लिए और मनुष्य, जीवजंतुओं, नाशकजीव से भिन्न, जीवित जीवों के प्रति जोखिम को कम करने का प्रत्यन करने के लिए तथा ऐसे नाशकजीवमारों, जो जैविक हैं और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं, का संवर्धन करने के लिए प्रयास युक्त वातावरण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक

भारत के गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षित नाम नाशकजीवमार प्रबंध अधिनियम, 2020 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

संघ नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा ।

2. यह घोषणा की जाती है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक नाशकजीवमार उद्योग के विनियमन को अपने नियंत्रण के अधीन ले लेना चाहिए ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "जीवजंतु" से मनुष्य के लिए उपयोगी जीवजंतु अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी मधुमक्खियां तथा अन्य फायदाग्राही कीट, केंचुए, मछलियां, कुक्कुट और ऐसी किस्म के वन्य जीव भी हैं जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, जो ऐसी किस्मों के रूप में हैं, विनिर्दिष्ट करे जिन्हें उसकी राय में संरक्षित या परिरक्षित किया जाना वांछनीय है ;

(ख) किसी अणु या नाशकजीवमार की विनिर्मिति के संबंध में "पाबंदी" से मानव स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण की संरक्षा करने के लिए उसके विनिर्माण, आयात, विक्रय, वितरण और उपयोग का प्रतिषेध अभिप्रेत है ;

(ग) "घान" से तकनीकी श्रेणी नाशकजीवमार की अभिज्ञेय मात्रा या इसकी विनिर्मिति, जिसे एकल लॉट में एक समान दशाओं में विनिर्मित और प्रसंस्कृत किया गया है, अभिप्रेत है ;

(घ) "बोर्ड" से धारा 4 के अधीन गठित केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ङ) "केंद्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला" से धारा 37 के अधीन स्थापित केंद्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(च) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से धारा 18, धारा 19 और धारा 20 के अधीन अनुदत्त नाशकजीवमार का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;

(छ) "निपटान" से ऐसी कोई प्रक्रिया करना अभिप्रेत है जो नाशकजीवमारों को निष्प्रभावी करती है, उन्हें नष्ट करती है या पृथक् करती है और उनके पैकेजों, जिनके अन्तर्गत भौतिक-रासायनिक उपचार, जैविक उपचार या भस्मीकरण भी है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसका परिणाम ऐसे नाशकजीवमारों, जिसके अंतर्गत सह-प्रसंस्करण का माध्यम भी है, के पुनः प्रयोग, पुनर्चक्रण, पुनः प्राप्ति या उपयोग है और "निपटान" तथा "निपटाया गया" पदों का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ;

(ज) "वितरण" से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके द्वारा नाशकजीवमार घरेलू या अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों को व्यापार चैनलों के माध्यम से प्रदाय किए जाते हैं ;

(झ) "पर्यावरण" के अंतर्गत जल, वायु और भूमि तथा अन्तर्सम्बन्ध भी हैं जो जल, वायु और भूमि तथा मनुष्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, सूक्ष्म जीवों और गुणधर्म में तथा उनके बीच विद्यमान हैं ;

(ञ) "निर्यात" से उन राज्यक्षेत्रों, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, राज्यक्षेत्रों के भीतर किसी स्थान से उन राज्यक्षेत्रों से बाहर के किसी स्थान तक बाहर ले जाना, अभिप्रेत है ;

(ट) "विनिर्मिति" से विनिर्दिष्ट अनुपात में अन्य संघटकों के साथ विनिर्दिष्ट अनुपात में एक या अधिक तकनीकी श्रेणी के नाशकजीवमारों को अंतर्विष्ट करने वाली निर्मिति अभिप्रेत है ;

(ठ) "आयात" से उन राज्यक्षेत्रों के भीतर, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी स्थान पर उन राज्यक्षेत्रों से बाहर के किसी स्थान से लाया जाना, अभिप्रेत है ;

(ड) "लेबल" से ऐसा कोई भी लिखित, मुद्रित या चित्रित रूपण अभिप्रेत है जो प्रथम पैकेज पर या किसी ऐसे आवरक पर है जिसमें पैकेज रखा गया है या पैक किया गया है ;

(ढ) "पत्रक" से पैकेज के साथ संलग्न कोई लिखित, मुद्रित या चित्रित रूपण अभिप्रेत है ;

(ण) "अनुज्ञापन अधिकारी" से धारा 27 के अधीन नियुक्त कोई अनुज्ञापन अधिकारी अभिप्रेत है ;

(त) "विनिर्माण" के अंतर्गत किसी नाशकजीवमार या विनिर्मिति को उसके अन्तिम विक्रय, वितरण या उपयोग की दृष्टि से उसे बनाने, परिवर्तन करने, परिरूपित करने, पैक करने के लिए, उस पर लेबल लगाने, उसे पुनः पैक करने या उस पर पुनः लेबल लगाने के लिए कोई प्रक्रिया है या किसी प्रक्रिया का भाग है ;

(थ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(द) "नाशकजीवमार का मामूली तौर पर उपयोग" से ऐसा कोई नाशकजीवमार अभिप्रेत है जो घरों, कार्यालयों तथा वैसे ही परिसरों में उपयोग के लिए आशयित है किंतु इसके अन्तर्गत कृषि, उद्योग नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाएँ, लोक स्वास्थ्य या भंडारण नहीं हैं ;

(ध) "अन्य संघटक" से निष्क्रिय सामग्री, परिक्षेपी कर्मक, पायसीकारक कर्मक, आर्द्रक, पृष्ठ लेपक, स्टेबलाइजर, परिरक्षी, इत्र, रंजन कर्मक या अन्य ऐसे पदार्थ अभिप्रेत हैं जो जैविक रूप से निष्क्रिय हैं और विनिर्मिति का निर्माण करने के लिए किसी तकनीकी श्रेणी के नाशकजीवमार में विनिर्दिष्ट अनुपात में मिलाए जाते हैं, ;

(न) "पैकेज" से ऐसा कोई डिब्बा, बोतल, कास्केट, संदूकचा, बैरल, केस, आधान, बोरा, बैग, आवेष्टन या ऐसी अन्य वस्तुएं अभिप्रेत है जिनमें नाशकजीवमार रखा जाता है या पैक किया जाता है, ;

(प) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि, कंपनी, संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे वह निगमित है या नहीं, अभिप्रेत है ;

(फ) "नाशकजीव" से पादप, जीवजंतु या रोगजनक कर्मक की कोई प्रजाति, नस्ल या जैव किस्म अभिप्रेत है जो पादपों, पादप उत्पादों, मनुष्य, जीवजंतुओं अन्य जीवित प्राणियों और पर्यावरण के लिए अवांछित या हानिकारक है और इसके अंतर्गत वन्य जीव (संरक्षण), अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित मनुष्य और जीवजंतु की बीमारियों के परजीवियों या रोगजनकों के रोगवाहक और पीड़क जंतु भी हैं ;

1972 का 53

(ब) "नाशकजीवमार गुणधर्म" से ऐसे किसी पदार्थ का गुणधर्म अभिप्रेत है जो नाशकजीवमार के रूप में वैसी ही रासायनिक या जैविक क्रिया रखता है ;

(भ) "नाशकजीवमार" से ऐसा कोई पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग, नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं, जनस्वास्थ्य भंडारण को रोकने, नष्ट

करने, आकर्षित करने, विकर्षित करने, न्यूनीकृत करने या नियंत्रित करने के लिए या साधारण उपयोग के लिए आशयित रासायनिक या जैविक उद्भव की विनिर्मिति भी है, अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पादप विकास, विनियामक, निष्पत्रक, जल शुष्कक, फल भवन कर्मक या अंकुरण रोधी के रूप में उपयोग के लिए आशयित कोई पदार्थ और ऐसा कोई पदार्थ भी है जो फसलों पर उनके भंडारण और परिवहन के दौरान उन्हें विकृति से संरक्षित करने के लिए फसल की कटाई से पहले या उसके पश्चात् अनुप्रयुक्त किया जाता है ;

(म) "नाशकजीवमार विश्लेषक" से धारा 39 के अधीन नियुक्त नाशकजीवमार विश्लेषक अभिप्रेत है ;

(य) "नाशकजीव नियंत्रण प्रचालक" से वाणिज्यिक प्रतिफल के लिए नाशकजीव नियंत्रक संक्रियाएं करने वाले कर्मकार से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संगठन भी है जिसके नियंत्रण में ऐसा व्यक्ति प्रचालन कर रहा है ;

(यक) "नाशकजीवमार निरीक्षक" से धारा 39 के अधीन नियुक्त नाशकजीवमार निरीक्षक अभिप्रेत है ;

(यख) "नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला" से धारा 38 के अधीन स्थापित नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला अभिप्रेत है ;

(यग) "मनुष्य के सम्बन्ध में विषाक्तता"से किसी नाशकजीवमार की व्यवसायिक अरक्षितता द्वारा शारीरिक संरचना या कार्य के नुकसान या विक्षोभ का घटित होना अभिप्रेत है जिसका परिणाम रुग्णता, क्षति या मृत्यु है ;

(यघ) "परिसर" से ऐसी कोई भूमि, दुकान, स्टॉल या स्थान अभिप्रेत है जहां कोई नाशकजीवमार विनिर्मित किया जाता है , वितरित किया जाता है, विक्रीत किया जाता है, विक्रय के लिए अभिदर्शित किया जाता है या भंडार में रखा जाता है, स्टाक में रखा जाता है, उसका परिवहन किया जाता है, उसे उपयोग में लाया जाता है या उसका निपटान किया जाता है ;

(यङ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(यच) "रजिस्ट्रीकरण समिति" से अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित रजिस्ट्रीकरण समिति अभिप्रेत है ;

(यछ) "जोखिम" से किसी नाशकजीवमार के अन्तर्निहित गुणधर्म के कार्य के रूप में प्रोद्भूत होने वाले स्वास्थ्य या पर्यावरणीय प्रभाव की संभाव्यता और कठोरता तथा संभावना और नाशकजीवमार के प्रति अभिदर्शन की सीमा अभिप्रेत है ;

(यज) "विक्रय" से किसी कीटनाशी का विक्रय अभिप्रेत है, चाहे वह नकद हो या उधार और चाहे वह थोक हो या फुटकर, एक मात्र उत्पाद के रूप में या किसी अन्य उत्पाद के भाग के रूप में हो और इसके अंतर्गत किसी नाशकजीवमार के विक्रय के लिए करार, उसके विक्रय की प्रस्थापना, उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित करना या विक्रय के लिए कब्जे में रखना या किसी नाशकजीवमार के उपयोग से संबंधित सेवाएं

विक्रीत करना या प्रदान करना भी है ;

(यझ) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उस संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(यञ) "स्टॉक" से नाशकजीवमारों का ऐसे नाशकजीवमारों को अंतर्वलित करने वाले वाणिज्यिक क्रियाकलाप के दौरान परिसरों में उनका भंडारण अभिप्रेत है ;

(यट) "तकनीकी श्रेणी नाशकजीवमार" से वाणिज्यिक उपयोग के लिए उत्पादित नाशकजीवमार का विशुद्धतम रूप अभिप्रेत है ; और

(यठ) "कर्मकार" से ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षु भी है, अभिप्रेत है जो किसी ऐसे शारीरिक या अकुशल कार्य में नियोजित किया गया है जिसमें किराए या पारितोषिक के लिए नाशकजीवमारों या पैकेजों के प्रति अभिदर्शन अंतर्वलित है, चाहे उसके नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों ।

अध्याय 2

केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति

केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड का गठन ।

4. केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर एक बोर्ड का गठन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड के नाम से ज्ञात होगा ।

बोर्ड की संरचना, बोर्ड के सदस्यों के निबंधन और शर्तें ।

5. (1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कृषि, रसायन या स्वास्थ्य या पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभव है ;

(ख) निम्नलिखित प्राधिकरणों में से प्रत्येक प्राधिकरण का संयुक्त निदेशक से अन्यून पंक्ति का पदाभिहित प्रतिनिधि - पदेन, सदस्य :—

(i) वनस्पति संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय ;

(ii) भारत का औषध महानियत्रक ;

(iii) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ;

(iv) महा निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो ;

(v) महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् ;

(vi) महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ;

(vii) भंडारण और अनुसंधान (तकनीकी) प्रभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ;

(viii) महानिदेशक, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान ;

(ix) भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ;

(x) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एएसएसएआई) ;

(xi) पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग ;

(xii) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ;

(xiii) केंद्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला ;

(xiv) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ;

(xv) राष्ट्रीय व्यवसायिक स्वास्थ्य संस्थान ;

(xvi) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ;

(xvii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(xviii) केंद्रीय भूजल बोर्ड ;

(xix) वाणिज्य मंत्रालय ;

(xx) पोत परिवहन और परिवहन मंत्रालय ;

(xxi) रेल मंत्रालय ;

(ग) पांच कृषि-जलवायु जोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकारों से कृषि या उद्यान कृषि के पांच निदेशक, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य ;

(घ) रसायन, पारिस्थितिकी, चिकित्सा विष विज्ञान और औषध विज्ञान के क्षेत्र से चार विशेषज्ञ, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य ;

(ङ) कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक स्त्री होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं - सदस्य ;

(च) पौधा संरक्षण संगरोध और भंडारण निदेशालय से एक अधिकारी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए - बोर्ड का सदस्य सचिव, पदेन ;

(2) उपधारा (1) के खंड (ग), खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य उतनी अवधि के लिए पद धारण करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

बोर्ड की बैठकें ।

6. (1) बोर्ड ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में, जिनके अंतर्गत ऐसी बैठकों में कोरम भी है, कारबार के संव्यवहारों के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो वह केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से इस निमित्त विनियमित करे ।

(2) केंद्रीय सरकार, बोर्ड को बैठक बुलाने के लिए उस समय अनुरोध कर सकेगी जब उसकी सलाह तुरंत संदर्भ के विषय में अपेक्षित हो ।

(3) ऐसे सभी प्रश्न, जो बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष उद्भूत होते हैं, उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत और मतदान द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में पीठासीन सदस्य का मत निर्णायक होगा ।

समितियों का गठन और विशेषज्ञों की नियुक्ति ।

7. (1) बोर्ड ऐसी समितियां गठित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्तियों को, जो बोर्ड के सदस्य नहीं हैं, ऐसी समितियों के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उन्हें ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें बोर्ड अधिरोपित करे, बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं ।

(3) ऐसी समितियों के सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित

किए जाएं ।

(4) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के अनुरोध पर ऐसे परामर्शदाता, विशेषज्ञ, सलाहकार और ऐसे अन्य व्यक्ति उपलब्ध करा सकेगी, जिनकी सेवाएं इस अधिनियम के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा भत्तों, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, पर इसके कर्तव्यों के दक्ष निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ।

8. (1) बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा :—

(क) अधिनियम के प्रशासन के कारण उद्भूत वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर तथा ऐसे किन्हीं प्रश्नों पर, जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देना ;

(ख) केंद्रीय सरकार को निम्नलिखित को बनाने में सलाह देना,—

(i) अच्छी विनिर्माणकारी पद्धतियों, जिनके अंतर्गत विनिर्माताओं के लिए प्रक्रियाएं भी हैं, के लिए मानदंड ;

(ii) नाशकजीव नियंत्रण प्रचालकों के लिए उत्तम पद्धतियां ;

(iii) नाशकजीवमार को रद्द करने की प्रकिया ;

(iv) पर्यावरणीय रूप से मजबूत रीति में नाशकजीवमारों और पैकेजों के निपटान के लिए मानदंड ;

(v) केंद्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला और नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा पालन किए जाने वाले मानक ;

(vi) कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण और कार्य की दशाओं के लिए मानक ;

(vii) सभी प्रकार के मीडिया में नाशकजीवमारों के विज्ञापन के लिए मानक ;

(viii) ऐसा अन्य विषय, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(ग) विषाक्तता की घटनाओं से निपटने के लिए मॉडल आदर्श नयाचार, जिसके अंतर्गत चिकित्सा सुविधाओं के लिए पद्धतियों को प्रवर्तित करने वाले मानक का विनिर्देश भी है, विरचित करना ;

(घ) निम्नलिखित पर अनुसंधान करना :—

(i) विद्यमान नाशकजीवमारों के लिए सुरक्षित विकल्पों, जिनके अंतर्गत कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियां भी हैं, का विकास और उसकी उपलब्धता ;

(ii) रजिस्ट्रीकृत नाशकजीवमारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और विषाक्तता ;

(iii) अन्य देशों में नाशकजीवमारों के क्षेत्र में, जो भारत के भागों या संपूर्ण भारत के लिए अंगीकृत की जा सके ;

(ङ) नाशकजीवमार अवशेषों को मॉनीटर करना ;

(च) नाशकजीवमारों से संबंधित वैश्विक विकास को मॉनीटर करना ;

(छ) नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदनों की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन करना ; और

(ज) किन्हीं ऐसे अन्य कार्यों का संपादन करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ;

(2) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने और उसकी किसी समिति की प्रक्रिया तथा उसके द्वारा या ऐसी समिति द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले सभी कारबार को संचालित करने के प्रयोजन के लिए उपविधियां बना सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण समिति का गठन, उसकी संरचना और उसके सदस्य की पदावधि ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, छह मास की अवधि के भीतर, एक समिति का गठन करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का संपादन करने के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति कहलाएगी ।

(2) रजिस्ट्रीकरण समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसा व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए जो कृषि या नाशकजीवमार के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हो और जिसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ;

(ख) भारत का महाऔषधि नियंत्रक, पदेन, सदस्य;

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का पदाभिहित प्रतिनिधि, पदेन, सदस्य;

(घ) परिसंकटमय पदार्थ प्रबंध प्रभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पदाभिहित प्रतिनिधि, पदेन, सदस्य,;

(ङ) रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का पदाभिहित प्रतिनिधि, पदेन, सदस्य ;

(च) पादप संरक्षण सलाहकार, भारत सरकार, पदेन, सदस्य ;

(छ) बोर्ड का सदस्य सचिव, सदस्य सचिव ।

(3) रजिस्ट्रीकरण समिति का अध्यक्ष उतनी अवधि के लिए पद धारण करेगा जितनी केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) रजिस्ट्रीकरण समिति, उतनी संख्या में और ऐसे प्रयोजन के लिए या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, विशेषज्ञों को भी सहयोजित कर सकेगी किंतु इस प्रकार सहयोजित किसी भी विशेषज्ञ को मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों के नियोजन पर निर्बंधन ।

10. बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति का अध्यक्ष और सदस्य उस तारीख से, जिसको वह, यथास्थिति, बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रह जाता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे अस्तित्व के निदेशक बोर्ड के प्रबंधन से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या उसके साथ सेवा की संविदा नहीं करेगा या निदेशक बोर्ड में कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा जो किन्हीं ऐसे क्षेत्रों में कारबार चला रहा है जिसके संबंध में बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति अनुसंधान करती है और सिफारिश करती है या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देती है ।

रिक्तियों, आदि का बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति की कार्यवाहियों द्वारा अविधिमान्य न होना ।

11. बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति का कोई कार्य या कार्यवाही बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि के कारण ही या बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति में केवल किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।

उपसमितियों का विशेषज्ञों के सहयोजित किए जाने पर गठन ।

12. (1) रजिस्ट्रीकरण समिति ऐसे कर्तव्यों, जो उसे समिति द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो समिति विनिर्दिष्ट करे, का पालन करने के लिए एक या अधिक उपसमितियां गठित कर सकेगी और रजिस्ट्रीकरण समिति उतनी संख्या में और ऐसे प्रयोजन या अवधि के लिए, जो वह आवश्यक समझे, विशेषज्ञ भी सहयोजित कर सकेगी ।

(2) उपसमिति द्वारा किया गया प्रत्येक विनिश्चय रजिस्ट्रीकरण समिति को अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

रजिस्ट्रीकरण समिति की बैठकें ।

13. रजिस्ट्रीकरण समिति अपनी ही प्रक्रिया को विनियमित करेगी और उसके द्वारा संव्यवहार किए जाने वाले कारबार को संचालित करेगी ।

रजिस्ट्रीकरण समिति की शक्तियां और कृत्य ।

14. रजिस्ट्रीकरण समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन ऐसी रीति में करेगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए,—

(क) नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के लिए, उसके द्वारा प्राप्त आवेदन के बारे में विनिश्चय करना ;

(ख) ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करना जिनके अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है ;

(ग) रजिस्ट्रीकृत नाशकजीवमारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करना और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को संशोधित या रद्द करना ;

(घ) नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन करना जिस निमित्त निर्देश किया गया है या केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा धारा 35 के अधीन उन्हें प्रतिषिद्ध किया गया है ;

(ङ) नाशकजीवमार का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना ;

(च) नाशकजीवमारीय गुणधर्म वाले पदार्थों को अधिसूचित करना ; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के लिए सचिवालय ।

15. (1) केंद्रीय सरकार, बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति को ऐसे तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएगी जो वह आवश्यक समझे ।

(2) तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृन्द की सेवा के निबंधन और शर्तें वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 3

नाशकजीवमारों का रजिस्ट्रीकरण

नाशकजीवमारों को रजिस्ट्रीकृत करने की अपेक्षा ।

16. (1) सामान्य उपयोग, कृषि, भंडारण, उद्योग, नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं या जन स्वास्थ्य में उपयोग के लिए किसी नाशकजीवमार को आयात करने या उसका विनिर्माण करने की वांछा करने वाला व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति को आवेदन करेगा ।

(2) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो एक से अधिक नाशकजीवमार का आयात करने या उसका विनिर्माण करने की वांछा करता है तो ऐसे प्रत्येक नाशकजीवमार के लिए पृथक् आवेदन किया जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ।

17. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी सूचना अंतर्विष्ट होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु केन्द्रीय सरकार द्वारा भिन्न-भिन्न प्ररूप और सूचना इस बात पर निर्भर करते हुए विहित की जाएगी कि क्या नाशकजीवमार आयात किए जाने या विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित है, क्या उसका भारत में या भारत से बाहर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, और वह उपयोग, जिसके लिए नाशकजीवमार आशयित है ।

परन्तु यह और कि ऐसे नाशकजीवमार जो जैविक हैं और पारम्परिक ज्ञान पर आधारित हैं, का संवर्धन करने के लिए तथा देशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रिया ; प्ररूप और सूचना, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी।

(2) यदि रजिस्ट्रीकरण समिति की यह राय है कि प्रस्तुत की गई सूचना उसे रजिस्ट्रीकरण के बारे में विनिश्चय करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो उसे, आवेदक से यह अपेक्षा करने की शक्ति होगी कि आवेदक कोई अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करे या कोई अतिरिक्त परीक्षण, जो वह ठीक समझे, संचालित करे ।

(3) आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

रजिस्ट्रीकरण के बारे में विनिश्चय ।

18. (1) रजिस्ट्रीकरण समिति सभी बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के आवेदन की संवीक्षा करेगी ।

(2) रजिस्ट्रीकरण समिति आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र जांच कर सकेगी जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेगा :—

(क) उसके द्वारा अवधारित रीति में परीक्षण का संचालन,

(ख) ऐसे विशेषज्ञों के साथ परामर्श, जो वह ठीक समझे ।

(3) रजिस्ट्रीकरण समिति उसके द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी आवेदनों का एक ऑनलाइन डाटाबेस रखेगी ।

(4) नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विनिश्चय करते समय, रजिस्ट्रीकरण समिति धारा 17 के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का मूल्यांकन करेगी और उसका कारकों द्वारा भी, जिनके अंतर्गत नाशकजीवमारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, आवश्यकता, अंत्य उपयोग, अंतर्वलित जोखिम और नाशकजीवमार के लिए सुरक्षित विकल्पों की उपलभ्यता भी है, मार्गदर्शन किया जाएगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण समिति किसी नाशकजीवमार को रजिस्टर नहीं करेगी, यदि :—

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है ;

(ख) यह समाधान हो गया है कि नाशकजीवमार आवेदक द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा या प्रभावकारिता के दावों को पूरा नहीं करता है ;

(ग) जहां फसलों और वस्तुओं पर नाशकजीवमार की लागू अधिकतम अवशिष्ट सीमाएं खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं । 2006 का 34

(6) रजिस्ट्रीकरण समिति नाशकजीवमार को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए इंकार कर सकेगी, यदि उसके जोखिमों और फायदों के बारे में कोई वैज्ञानिक अनिश्चितता है और मनुष्य स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण के लिए गंभीर और अनुत्क्रमणीय नुकसान की आशंका है ।

(7) रजिस्ट्रीकरण समिति किसी नाशकजीवमार के लिए रजिस्ट्रीकरण को प्रदान करने या उसके लिए इंकार करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराएगी ।

(8) जब रजिस्ट्रीकरण समिति किसी नाशकजीवमार को रजिस्ट्रीकृत करने का विनिश्चय करती है, तब यह नाशकजीवमार को ऐसी शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, रजिस्ट्रीकरण संख्या आवंटित करेगी और आवेदक को ऐसी रीति में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगी ।

सामान्य नाशकजीवमारों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना ।

19. (1) जहां रजिस्ट्रीकरण समिति ने किसी नाशकजीवमार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है वहाँ, कोई अन्य व्यक्ति जो धारा 18 के अधीन प्रदत्त मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक नहीं है, और उसी नाशकजीवमार के आयात या विनिर्माण करने का इच्छुक है, तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति को आवेदन करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया आवेदन ऐसे प्ररूप में,ऐसी सूचनाओं से अंतर्विष्ट और ऐसी फीस से सहयुक्त होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) यदि रजिस्ट्रीकरण समिति का यह समाधान हो जाता है कि, नाशकजीवमार जिसकी बाबत मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था, उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई है तो, वह इस बात का कथन करते हुए कि ऐसा नाशकजीवमार एक सामान्य नाशकजीवमार है जिसकी बाबत मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकरण संख्या आबंटित कर सकेगी और आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उस नाशकजीवमार के संबंध में मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय विनिर्दिष्ट शर्तों तथा अन्य अतिरिक्त शर्तों जो रजिस्ट्रीकरण समिति आवेदक के संबंध में ठीक समझे, के अधीन होगा।

संप्रेक्षण के लंबित रहने के दौरान अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ।

20. (1) कोई व्यक्ति जो ऐसे नाशकजीवमार के आयात या विनिर्माण करने का इच्छुक है जो भारत में पहली बार प्रयोग की जाएगी, तो वह रजिस्ट्रीकरण समिति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी सूचनाओं से अंतर्विष्ट और ऐसी फीस से सहयुक्त आवेदन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) रजिस्ट्रीकरण समिति संप्रेक्षण के लंबित रहते हुए तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी, जिसके दौरान आवेदक धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी सृजित करेगा।

(3) उस अवधि के दौरान, जिसके लिए नाशकजीवमार को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफ़ारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा

यथाविनिश्चित अत्यावश्यकता की स्थिति के सिवाय ऐसे नाशकजीवमार का विक्रय या वितरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान पर या ऐसी अवधि के पूर्व किसी समय जब उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी सृजित की गई है, वह व्यक्ति जिसे यह प्रदान की गई है, धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा यदि वह नाशकजीवमार के आयात या विनिर्माण करने का इच्छुक है।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन।

21. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक जो प्रमाणपत्र प्रदान करते समय रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किसी शर्त में संशोधन किए जाने का इच्छुक है वह समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस से सहयुक्त आवेदन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करते समय रजिस्ट्रीकरण समिति ऐसे जोखिम का निर्धारण करेगी जो यह ठीक समझे, जिसके आधार पर यह संशोधन अनुमोदित या नामंजूर कर सकेगी :

परंतु जहां संशोधन नाशकजीवमार की सुरक्षा या प्रभावकारिता जिसके अंतर्गत इसमें किसी परिवर्तन तक सीमित न होते हुए नाशकजीवमार का रासायनिक सम्मिश्रण भी है या इसके उपयोग जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण के समय यह अनुमोदित किया गया था को प्रभावित करे, तो संशोधन के लिए आवेदन को रजिस्ट्रीकरण का आवेदन माना जाएगा जिसको धारा 18,19 और 20 के उपबंध लागू होंगे ।

(3) धारा 18 के अधीन प्रदत्त नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का संशोधन का धारा 19 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों पर ऐसा प्रभाव ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन, निलंबन और रद्द किया जाना तथा नाशक जीवमारों पर पाबंदी ।

22. (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् नाशकजीवमार की सुरक्षा या प्रभावकारिता से संबन्धित किसी सूचना या अन्य देशों में इसके रजिस्ट्रीकरण का निर्बंधन या पाबंदी की प्रास्थिति सहित यदि समिति को प्रस्तुत किसी जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तो इसे रजिस्ट्रीकरण समिति को सूचित करेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण समिति किसी भी समय निम्नलिखित का पुनर्विलोकन कर सकेगी :—

(क) धारा 18 या 19 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का ;

(ख) उस नाशकजीवमार के अणु या विनिर्मिति का जिसके संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है ।

(3) रजिस्ट्रीकरण समिति के द्वारा पुनर्विलोकन का प्रारंभ :—

(क) इसकी स्वयं की प्रेरणा पर किया जा सकेगा;

(ख) उपधारा (1) के अधीन या अन्यथा इसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना के आधार पर किया जा सकेगा ;

(ग) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी निर्देश पर किया जा सकेगा ; या

(घ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नाशकजीवमार के प्रतिषिद्ध होने के पश्चात् किया जा सकेगा ।

(4) पुनर्विलोकन का संचालन करते समय रजिस्ट्रीकरण समिति को यह शक्ति होगी कि वह :—

(क) ऐसी रीति से परीक्षणों का संचालन करे जो इसके द्वारा अवधारित किया गया है ;

(ख) ऐसे विशेषज्ञों से परामर्श करे जिसे यह ठीक समझे ;या

(ग) यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संबंधित धारक या धारकों से जानकारी प्रस्तुत करने या परीक्षणों का संचालन करने की अपेक्षा करना ।

(5) पुनर्विलोकन का संचालन करते समय रजिस्ट्रीकरण समिति, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देगी और जहां धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रतिषेद्ध के आधार पर पुनर्विलोकन संचालित किया जाता है वहां यह यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से परामर्श करेगी ।

(6) उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का पुनर्विलोकन करने के पश्चात् यदि रजिस्ट्रीकरण समिति का यह समाधान होता है कि अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन हुआ है तो यह ऐसा प्रमाणपत्र निलंबित कर सकेगी, और यह ऐसे प्रमाणपत्र के धारक को निदेश देगी कि ऐसी अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए उन शर्तों का अनुपालन करे और उसमें सुधार करे ।

(7) यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक जिसे उपधारा (6) के अधीन निदेशों को जारी किया गया है वह उपधारा (6) में उल्लिखित अवधि के भीतर निदेशों का पालन करने में असफल रहता है तो ऐसी अवधि के अवसान पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाएगा ।

(8) यदि रजिस्ट्रीकरण समिति का यह समाधान होता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के समय प्रस्तुत कोई जानकारी मिथ्या थी या किसी तात्विक विशिष्टि के बारे में भ्रामक है तो यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगी ।

(9) निम्नलिखित परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द हो जाएगा :—

(क) जहां किसी नाशकजीवमार के विनिर्माण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया था, यदि रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का धारक प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से तीन वर्ष के भीतर विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में असफल रहता है ; या

(ख) जहां किसी नाशकजीवमार के आयात के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन किया गया था, यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से एक वर्ष के भीतर नाशकजीवमार के वितरण, विक्रय या स्टाक का अनुज्ञापन या विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में असफल रहता है ।

(10) वह व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपधारा (7) या उपधारा (8) या उपधारा (9) के अधीन रद्द किया गया है उस नाशकजीवमार का विनिर्माण या आयात नहीं करेगा जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था ।

(11) रजिस्ट्रीकरण समिति, उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नाशकजीवमार के अणु या विनिर्मिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्,—

(क) ऐसे अणु या विनिर्मिति के संबंध में सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित कर सकेगी चाहे वे धारा 18 या धारा 19 के अधीन प्रदान किए गए हैं, यदि इस बात का प्रथमदृष्टया साक्ष्य है कि ऐसे अणु या विनिर्मिति से मानव जीवन के स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या नाशकजीवमार में वह प्रभावकारिता नहीं है जिसका दावा किया गया था और यह उस अणु या विनिर्मिति की बाबत प्रमाणपत्रों के धारकों से इस बात की अपेक्षा करेगी कि एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस साक्ष्य का खंडन करें, जिसके न हो सकने पर प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया जाएगा ;

(ख) ऐसे अणु या विनिर्मिति के संबंध में सभी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को रद्द करेगी, चाहे वे धारा 18 या धारा 19 के अधीन प्रदान किए गए हैं, यदि इसका समाधान है कि ऐसे अणु या विनिर्मिति के सतत उपयोग से जोखिम की मात्रा इसके फायदों से अधिक प्रभावशाली है ।

(12) जब उपधारा (11) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया है तो अणु या विनिर्मिति, जिसके संबंध में ये प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे, पर पाबंदी और अधिसूचित किया गया समझा जाएगा ।

(13) इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा लिया गया निर्णय लिखित रूप से लेखबद्ध किया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा ।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकरण ।

23. (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कीटनाशी को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा । 1968 का 46

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि के अवसान के पूर्व ऐसे कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी रीति में नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

रजिस्ट्रीकरण समिति के निर्णय से अपील ।

24. (1) कोई व्यक्ति जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए या इसके संशोधन या अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का आवेदन नामंजूर या रद्द कर दिया गया है, उस तारीख से जिसको ऐसा निर्णय सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील फाइल करेगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान है कि अपीलार्थी किसी पर्याप्त कारण से नियत समय के भीतर अपील फाइल करने से निवारित रहा है तो यह तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगी ।

(2) अपील ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस से सहयुक्त होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अभिवचनों के पूरा होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी ।

केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण की शक्ति ।

25. केन्द्रीय सरकार, किसी समय, किसी मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति ने निर्णय दिया है अभिलेख को मंगा सकेगी और ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो यह ठीक समझे :

परंतु ऐसा कोई आदेश निर्णय की तारीख से एक वर्ष के अवसान के पश्चात् पारित नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगी जब तक कि उस व्यक्ति को प्रस्थापित आदेश के विरुद्ध सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो ।

नाशकजीवमारों का राष्ट्रीय रजिस्टर ।

26. रजिस्ट्रीकरण समिति नाशकजीवमारों का राष्ट्रीय रजिस्टर डिजिटल प्ररूप में अनुरक्षित करेगी जिसमें ऐसी सूचनाएं अंतर्विष्ट होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 4

अनुज्ञप्ति का दिया जाना

अनुज्ञापन अधिकारी ।

27. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी अर्हताएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) अनुज्ञापन अधिकारी ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा ।

28. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन, कोई व्यक्ति जो, नाशकजीवमार का विनिर्माण, वितरण या विक्रयार्थ प्रदर्शन, विक्रय या स्टॉक करने का इच्छुक है, या नाशकजीव नियंत्रण प्रचालनों को करने का वचनबंध करता है, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस से सहयुक्त आवेदन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति, ऐसी अर्हताएं धारण करेंगे और अवसंरचना, परिसर, भंडारण और परिवहन के संबंध में ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, साधारण प्रयोग के नाशकजीवमार को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन विक्रय या भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है ।

अनुज्ञप्ति का दिया जाना ।

29. (1) अनुज्ञापन अधिकारी, धारा 28 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदक के ऐसे परिसर का निरीक्षण कर सकेगा जो यह ठीक समझे ।

(2) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का, निरीक्षण के आधार पर और धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं के मूल्यांकन के पश्चात् यह समाधान होता है कि, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह धारा 28 के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदक को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक इस

अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं है तो, वह इसे प्रदान करने को नामंजूर कर सकेगा और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नामंजूरी के आदेश को आवेदक को संसूचित करेगा ।

(4) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगी जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जिन्हें वर्णन द्वारा नाशकजीवमार के अत्यधिक विषालु या अतिविषालु प्रवर्ग के विक्रय के लिए राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण और संशोधन ।

30. (1) अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों या शर्तों को जिनके अधीन इसे दिया गया था, ऐसी रीति से संशोधित कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) यदि अनुज्ञापन अधिकारी का या तो इस निमित्त किए गए निर्देश के आधार पर या अन्यथा यह समाधान होता है कि,—

(क) जिस सूचना के आधार पर अनुज्ञप्ति दी गई थी वह मिथ्या थी या किसी तात्विक विशिष्टि के बारे में भ्रामक थी, या

(ख) अनुज्ञप्ति के धारक ने उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है जिनके अधीन यह दी गई थीं; या

(ग) अनुज्ञप्ति के धारक ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है,

तो इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य शास्ति जिसके लिए अनुज्ञप्ति का धारक दायी हो सकेगा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञापन अधिकारी, अनुज्ञप्ति के धारक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहृत कर सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जाएगी यदि वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषसिद्ध है ।

(4) यदि रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा किसी नाशकजीवमार का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जाता है तो किसी नाशकजीवमार के विनिर्माण, वितरण, विक्रय, विक्रयार्थ प्रदर्शन, भंडारण या परिवहन या नाशकजीव नियंत्रण प्रचालनों को किए जाने की अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहरित समझा जाएगा ।

कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन अनुज्ञप्तियां ।

31. (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति उस अधिनियम के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति के दिए जाने के समय विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । 1968 का 46

(2) जब कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति का अवसान हो जाता है तब नई अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा । 1968 का 46

अनुज्ञप्तियों, विक्रय और स्टाक स्थिति की सूचना ।

32. (1) अनुज्ञापन अधिकारी राज्य सरकार को निम्नलिखित से संबंधित मासिक रिपोर्ट ऐसी रीति से उपलब्ध कराएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए,—

(क) नाशकजीवमारों के विनिर्माण, वितरण, स्टाक करने और उनके विक्रय में लगे व्यक्ति और किसी नाशकजीवमार के उपयोग वाली वाणिज्यिक नाशकजीवमार नियंत्रण संक्रियाओं में लगे व्यक्तियों की अनुज्ञप्ति के प्रदान करने या प्रतिसंहृत

करने ;

(ख) राज्य में प्रत्येक नाशकजीवमार विनिर्माता के कब्जे में अवसंरचना सुविधाएं ;

(ग) नाशकजीवमारों की क्वालिटी की मानीटरी तथा इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत दंड ।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट को समेकित करेगी और प्रत्येक छह मास में इसे केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति से प्रेषित करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) कोई व्यक्ति, जो नाशकजीवमारों का विक्रय करता है वह नाशकजीवमार के विक्रय का अभिलेख अनुरक्षित करेगा और अनुज्ञापन अधिकारी को अभिलेख ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) प्रत्येक आयातक या विनिर्माता नाशकजीवमारों के स्टाक की स्थिति को अभिलिखित करते हुए एक रजिस्टर का अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(5) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी समय, लिखित में सूचना के द्वारा किसी आयातक या विनिर्माता या नाशकजीवमारों से व्यवहार्य करने वाले किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगी कि नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर किसी नाशकजीवमार या उसके किसी बैच के संबंध में जिसके अंतर्गत उन सभी व्यक्तियों की विशिष्टियां भी हैं जिन्हें यह बेची या वितरित की गई हैं, ऐसी सूचना प्रस्तुत करे, जो यह आवश्यक समझे ।

अनुज्ञापन अधिकारी के निर्णय से अपील ।

33. (1) कोई व्यक्ति जो धारा 29 या धारा 30 के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी के निर्णय द्वारा व्यथित है उस तारीख से जिसे उसे निर्णय संसूचित किया गया है तीस दिन की अवधि के भीतर राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस से सहयुक्त अपील कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी नियत समय में अपील फाइल करने से किन्हीं पर्याप्त कारणों से निवारित रहा था तो वह उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर राज्य सरकार, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी ।

अध्याय 5

नाशकजीवमार निगरानी और लोक हित में प्रतिषेध

विषाक्तता की अधिसूचना और निधि का गठन ।

34. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग से अपेक्षा करेगी कि उसके या उनके संज्ञेय में आ रहे विषाक्तता की सभी घटनाओं की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी को करे जो अधिसूचना में विहित किया जाए ।

(2) राज्य सरकार इसकी अधिकारिता के भीतर विषाक्तता की घटनाओं का विश्लेषण और पुनर्विलोकन करेगी और केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ।

(3) राज्य सरकार विषाक्तता की घटनाओं से निपटने के लिए बोर्ड द्वारा बनाए गए

आदर्श प्रोटोकॉल को कार्यान्वित करने की योजना विकसित करेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसको निम्नलिखित जमा किया जाएगा :—

(क) कोई रकम जिसे केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोजन के पश्चात् उपलब्ध कराए ;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए न्यायालय द्वारा आरोपित शास्तियां ।

(5) उपधारा (4) के अधीन गठित निधि का यथास्थिति ऐसे व्यक्तियों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को अनुग्रही संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा जिनको विषाक्तता के अनुक्रम में उपहति, घोर उपहति हुई है या मृत्यु हुई है ।

(6) अनुग्रही संदाय की मात्रा और प्रक्रिया वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

लोक हित में नाशकजीवमारों पर प्रतिषेध और नाशकजीवमारों पर पाबंदी ।

35. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी भी समय, रजिस्ट्रीकरण समिति को यह निर्देश कर सकेगी कि नाशकजीवमार जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है के अणु या विनिर्मिति की सुरक्षा या प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन करे, और धारा 22 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे पुनर्विलोकन को लागू होंगे ।

(2) यदि प्राप्त सूचना के आधार पर या अन्यथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की यह राय है कि लोक हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि किसी ऐसे नाशकजीवमार के उपयोग पर तुरंत कार्रवाई करे जो वितरित, विनिर्मित, विक्रीत, भंडारित की गई है या जिसका कृषि, उद्योग, भंडारण, लोक स्वास्थ्य, साधारण उपयोग या नाशकजीव नियंत्रण संचालनों में प्रयोग हुआ है, जिससे मानव-स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या पड़ने की संभावना है या कृषि वाणिज्या के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में रूकावट डालता है, तो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नाशकजीवमार या विनिर्दिष्ट बैच के ऐसे क्षेत्र में और एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए वितरण, विक्रय या उपयोग को प्रतिषेध कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर, रजिस्ट्रीकरण समिति ऐसे नाशकजीवमार के अणु या विनिर्मिति का पुनर्विलोकन करेगी और धारा 22 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे पुनर्विलोकन को लागू होंगे ।

(4) रजिस्ट्रीकरण समिति अपना पुनर्विलोकन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरा करेगी:

परंतु यदि रजिस्ट्रीकरण समिति को उपलब्ध सूचना को एक वर्ष के भीतर देने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो, यह अवधि और एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ।

(5) नाशकजीवमार के वितरण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिषेध तब तक जारी रहेगा जब तक रजिस्ट्रीकरण समिति इस निमित्त एक निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है और वह निर्णय जनता के लिए उपलब्ध होगा ।

(6) यदि रजिस्ट्रीकरण समिति का यह समाधान है कि नाशकजीवमार से मनुष्यों के

स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण के लिए कोई जोखिम नहीं है तब नाशकजीवमार के वितरण, विक्रय या उपयोग पर प्रतिषेध उस तारीख से जिससे रजिस्ट्रीकरण समिति का निर्णय जनता के लिए उपलब्ध है अनुज्ञात किया जाएगा ।

(7) धारा 22 या इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी नाशकजीवमार के जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है के अणु या विनिर्मिति पर पाबंदी लगा सकेगी यदि—

(क) ऐसी पाबंदी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक है ; या

(ख) ऐसे अणु या विनिर्मिति पर नाशकजीवमारों के संबंध में किसी ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि या करार के अधीन पाबंदी लगाई गई है जिसका भारत एक पक्षकार है ।

(8) उपधारा (7) के अधीन पाबंदी लगाए गए नाशकजीवमार के अणु या विनिर्मिति के संबंध में प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण के सभी प्रमाणपत्रों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से रद्द समझा जाएगा ।

नाशकजीवमारों पर राज्य-स्तरीय डाटाबेस ।

36. राज्य सरकार नाशकजीवमारों पर ऐसी सूचनाओं से अंतर्विष्ट समेकित राज्य स्तरीय डाटाबेस डिजिटल प्ररूप में अनुरक्षित करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 6

नाशकजीवमार प्रयोगशाला और नाशकजीवमार का विश्लेषण

केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला ।

37. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशक के नियंत्रण के अधीन एक केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इसको सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला के ऐसे कृत्यों के निष्पादन के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी अन्य प्रयोगशाला को जो यह ठीक समझे, अभिहित कर सकेगी ।

नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला ।

38. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों के नियंत्रण के अधीन नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इसको सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला के कृत्य उस विस्तार तक जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसे अन्य लोक संस्थाओं द्वारा किए जाएं और तब, नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला के निदेशक के कृत्य उस संस्था के प्रधान के द्वारा भी निष्पादित किए जाएंगे ।

(3) केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत राज्य सरकारें नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला के सभी या किन्हीं कृत्यों, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, को मानकों के अनुपालन पर करने के लिए निजी प्रयोगशालाओं को मान्यता दे सकेंगी ।

(4) किसी भी निजी प्रयोगशाला, जिसके किसी निदेशक या भागीदार या अधिकारी का किसी नाशकजीवमार के विनिर्माण, आयात, निर्यात, भंडारण, वितरण या विक्रय या किसी नाशकजीव नियंत्रण संचालनों में कोई वित्तीय हित है, को उपधारा (3) के अधीन मान्यता नहीं दी जाएगी ।

(5) उपधारा (3) के अधीन दी गई कोई मान्यता, इसके लिए जो कारण हैं उसे लेखबद्ध करते हुए और संबंधित प्रयोगशाला को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा वापस ली जा सकेगी ।

नाशकजीवमार विश्लेषक और नाशकजीवमार निरीक्षक ।

39. (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को जिसे यह ठीक समझे, जो ऐसी तकनीकी और अन्य अर्हताएं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों के लिए और उन नाशकजीवमार या नाशकजीवमार के वर्ग की बाबत, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नाशकजीवमार विश्लेषक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :—

परंतु कोई व्यक्ति जिसका किसी नाशकजीवमार के विनिर्माण, आयात, निर्यात, भंडारण, वितरण, विक्रयार्थ प्रदर्शन या विक्रय या किसी नाशकजीव नियंत्रण संचालनों में कोई वित्तीय या अन्य हित है, को नाशकजीवमार विश्लेषक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को जिसे यह ठीक समझे, जो ऐसी तकनीकी और अन्य अर्हताएं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों के लिए और उन क्षेत्रों की बाबत, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नाशकजीवमार निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु कोई व्यक्ति जिसका किसी नाशकजीवमार के विनिर्माण, आयात, निर्यात, भंडारण, वितरण, विक्रयार्थ प्रदर्शन या विक्रय या किसी नाशकजीव नियंत्रण संचालनों में कोई वित्तीय या अन्य हित है, को नाशकजीवमार निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

नाशकजीवमार निरीक्षक की शक्तियां ।

40. (1) धारा 41 के उपबंधों के अधीन, नाशकजीवमार को यह शक्ति होगी कि वह :—

(क) सभी युक्तियुक्त समयों पर और ऐसी सहायता के साथ, यदि कोई हो, जैसी वह आवश्यक समझे, किसी परिसर में या किसी यान की दशा में यान को रोके और तलाशी ले, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या इसके तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है या अपना यह समाधान करने के प्रयोजन से कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है, प्रवेश करे तथा तलाशी ले ;

(ख) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज़ या अन्य सारवान् पदार्थ या नाशकजीवमार का भंडार जो किसी परिसर में पाया गया है या नाशकजीवमार के डीलर, वितरक, विनिर्माता, आयातक, विक्रेता, वाहक, नाशकजीव नियंत्रण संचालक या

ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा रखा गया है, को पेश करने की अपेक्षा करे, और निरीक्षण करे, परीक्षा करे, उसकी प्रतियां बनाए, उससे उद्धरण ले या अभिगृहीत करे, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वे सभी या उनमें से कोई इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी अपराध को करने का साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेंगे ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जा रहा है, ऐसी परीक्षा और जांच करना जो यह ठीक समझे और उस प्रयोजन के लिए किसी यान को रोकना ;

(घ) किसी नाशकजीवमार के नमूने को लेना जो विनिर्मित, विक्रीत, भंडारित, प्रदर्शित, विक्रय के लिए प्रदर्शित या वितरित किया जा रहा है और ऐसे नमूने को परीक्षण और विश्लेषण के लिए अड़तालीस घंटों के भीतर और ऐसी रीति से नाशकजीवमार विश्लेषक को भेजना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए;

(ङ) किसी ऐसे परिसर, जहां नाशकजीवमार यथास्थिति भंडारित या विनिर्मित किया जा रहा है, के तत्समय प्रभारी किसी व्यक्ति की अपेक्षा करना जो नाशकजीवमार निरीक्षक को प्रकटीकरण करे ;

(च) लिखित आदेश के माध्यम से और किसी व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा से जिसको राज्य सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त 1974 का 2 किया है, नाशकजीवमार का वितरण, विक्रय, उपयोग या निपटारा जिसका उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में वितरित, विक्रीत, उपयोग या इसका निपटारा किया जा रहा है, को साठ दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नाशकजीवमार विश्लेषक के रिपोर्ट की प्राप्ति तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, रोकना:

परंतु यदि नाशकजीवमार निरीक्षक आकस्मिक परिस्थितियों के कारण पूर्व अनुज्ञा लेने में समर्थ नहीं है, तो वह यथाशीघ्र, परंतु अड़तालीस घंटे के बाद नहीं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और किसी नाशकजीवमार के विक्रय, वितरण, उपयोग या निपटारा को रोकने के लिए उसके आदेश लेगा ;

(छ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो :

परंतु सीमा-शुल्क बद्ध क्षेत्र में कोई सीमा शुल्क अधिकारी जिसके पास लिखित शिकायत या अन्यथा के माध्यम से यह विश्वास करने का कारण है कि, किसी नाशकजीवमार के आयात या निर्यात से संबंधित कोई अपराध सीमा शुल्क-बद्ध क्षेत्र में किया गया है या किए जाने की संभावना है तो वह, इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करने के लिए समर्थ बनाने हेतु पादप संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय की नोटिस में इस बात को लाएगा ।

1974 का 2 (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध, इस अधिनियम के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को उसी भांति लागू होंगे जैसे, वह उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी

किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं ।

(3) कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कोई आदेश पारित होना प्रस्थापित है, को उसके विरुद्ध ऐसी रीति में कारण बताओ नोटिस तामील की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) नाशकजीवमार निरीक्षक यथास्थिति, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजनों से संबंधित सहायता के लिए किसी पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी या दोनों की सेवाओं की अपेक्षा कर सकेगा और यह प्रत्येक ऐसे पुलिस अधिकारी या अधिकारी का कर्तव्य होगा कि ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करे ।

नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।

41. (1) जहां कोई नाशकजीवमार निरीक्षक, नाशकजीवमार का नमूना लेता है, वह उस व्यक्ति को, जिससे नमूना लिया गया है, वह कीमत संदाय करेगा जिस पर वह नाशकजीवमार जनसाधारण को विक्रय किया जाता है, और इसकी लिखित अभिस्वीकृति की अपेक्षा करेगा ।

(2) जहां धारा 40 के अधीन कोई नाशकजीवमार निरीक्षक किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् वस्तु या नाशकजीवमार के भंडार का अभिग्रहण करता है, तो वह, यथाशीघ्र, ऐसे अभिग्रहण के बारे में न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और इसकी अभिरक्षा के लिए आदेश प्राप्त करेगा ।

(3) जहां कोई नाशकजीवमार निरीक्षक धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन आदेश पारित करता है, तो वह यदि वह नाशकजीवमार के भंडार का अभिग्रहण करता है, तो यथाशीघ्र वह न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और इसकी अभिरक्षा के लिए आदेश प्राप्त करेगा ।

(4) यथाशीघ्र, नाशकजीवमार निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि नाशकजीवमार इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लघंन करता है या नहीं, जिसके अंतर्गत परीक्षक के माध्यम से और इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार नाशकजीवमार के नमूने का विश्लेषण भी है ।

(5) यदि यह सुनिश्चित किया जाता है कि नाशकजीवमार या इसका विक्रय, वितरण का उपयोग इस अधिनियम या जिसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का इस प्रकार उल्लंघन नहीं करता, तो नाशकजीवमार निरीक्षक उसके द्वारा पारित आदेश का प्रतिसंहरण करेगा और यदि नाशकजीवमार का भंडार अभिग्रहण किया गया है, तो ऐसी कार्रवाई करेगा जो इसकी वापसी के लिए आवश्यक हो ।

(6) कोई अभियोजन संस्थित किए बिना, यदि अभिकथित उल्लंघन इस प्रकार का है कि त्रुटि का उपचार नाशकजीवमार के कब्जाधारी द्वारा किया जा सकता है, तो यह समाधान होने पर कि त्रुटि का इस प्रकार उपचार कर दिया गया है, तुंरत अपने आदेश को प्रतिसंहरण करेगा, और यदि, नाशकजीवमार के भंडार का अभिग्रहण किया गया है, तो नाशकजीवमार ऐसी कार्रवाई करेगा जो इसकी वापसी के लिए आवश्यक हो ।

(7) जहां कोई नाशकजीवमार निरीक्षक धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन किसी नाशकजीवमार के भंडार का अभिग्रहण करता है, तो वह उसकी रसीद ऐसे प्ररूप में देगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(8) जहां कोई नाशकजीवमार निरीक्षक किसी नाशकजीवमार का नमूना लेता है, तो वह लिखित में, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, नमूना लेने के प्रयोजन को उस व्यक्ति को सूचित करेगा जिससे नमूना लिया गया है ।

(9) नाशकजीवमार निरीक्षक नमूना उस व्यक्ति की उपस्थिति में प्राप्त करेगा जिससे नमूना लिया गया है, यदि वह स्वयं को जानबूझकर अनुपस्थित नहीं करता और नमूने को उतनी संख्या में ऐसे वजन में या आयतन में विभाजित करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(10) नमूने का भाग ऐसे आधानों में रखा जाएगा और नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा तथा उस व्यक्ति द्वारा जिससे नमूना लिया गया है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सील और चिन्हित किया जाएगा ।

(11) नाशकजीवमार निरीक्षक उस पैकेज पर अपना सील लगाएगा जिससे नमूना लिया गया है और परीक्षण या विश्लेषण के लिए प्राप्त नमूने की मात्रा दर्शित करेगा ।

(12) नाशकजीवमार निरीक्षक इस धारा के अधीन लिए गए नमूनों के भागों से ऐसी रीति में व्यवहार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

नाशकजीवमार विश्लेषक की रिपोर्ट ।

42. (1) नाशकजीवमार विश्लेषक, जिसे धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन परीक्षण या विश्लेषण के लिए किसी नाशकजीवमार का नमूना प्रस्तुत किया गया है, प्रस्तुत करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नाशकजीवमार निरीक्षक को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, चार प्रतियों में हस्ताक्षरित रिपोर्ट परिदत्त करेगा ।

(2) नाशकजीवमार विश्लेषक से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, नाशकजीवमार निरीक्षक दस दिन अवधि के भीतर, निम्नलिखित को रिपोर्ट की एक प्रति परिदत्त करेगा,—

(क) नाशकजीवमार का विनिर्माता ;

(ख) वह व्यक्ति जिससे नमूना लिया गया था, यदि ऐसा व्यक्ति विनिर्माता नहीं है;

(ग) पौध संरक्षक सलाहकार, जहां नाशकजीवमार निरीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है या किसी राज्य का कृषि निदेशक, जहां नाशकजीवमार निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है ; और

(घ) चौथी प्रति अपने पास रखेगा ।

(3) नाशकजीवमार विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए तात्पर्यित रिपोर्ट के रूप में कोई दस्तावेज, उसमें कथन किए गए तथ्यों का निश्चयात्मक साक्ष्य होगा, यदि वह व्यक्ति जिससे नमूना लिया गया था, रिपोर्ट की प्रति की प्राप्ति से अट्ठाइस दिन के भीतर, नाशकजीवमार निरीक्षक को या उस न्यायालय को जिसके समक्ष नमूने के संबंध में कार्यवाहियां लंबित हैं, लिखित में सूचित नहीं करता है कि वह रिपोर्ट के खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आशय रखता है ।

(4) यदि नमूने को केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला में पहले ही परीक्षण नहीं किया गया है, जहां किसी व्यक्ति ने उपधारा (3) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक की रिपोर्ट के खंडन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के अपने आशय के बारे में सूचित किया है, तो न्यायालय

स्वयं या अपने विवेकानुसार, या तो परिवादकर्ता या अभियुक्त के अनुरोध पर, इसके समक्ष प्रस्तुत किए गए नाशकजीवमार के नमूने को उक्त प्रयोगशाला को परीक्षण या विश्लेषण के लिए भिजवाएगा, जो तीस दिन की अवधि के भीतर परीक्षण या विश्लेषण करेगा और उसका परिणाम केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन हस्ताक्षर किया जाएगा तथा ऐसी रिपोर्ट उसमें कथन किए गए तथ्यों का निश्चयात्मक साक्ष्य होगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला द्वारा संचालित परीक्षण या विश्लेषण की लागत परिवादकर्ता या अभियुक्त द्वारा संदत्त की जाएगी, जैसा न्यायालय निदेश दे ।

(6) इस प्रकार प्राप्त किए गए और परीक्षित नमूने के अवशेष, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, नमूने प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर या यदि लागू हो तो न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर निपटान किए जाएंगे अथवा जैसा न्यायालय निदेश दे, जो भी पश्चातवर्ती हो ।

अध्याय 7

अपराध और दंड

बाधा पहुंचाने के लिए दंड ।

43. जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में या कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाता है, ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पच्चीस हजार रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्तिकरण की शर्तों के अतिक्रमण के लिए दंड ।

44. जो कोई रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अतिक्रमण में या अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण में किसी नाशकजीवमार का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, विक्रय के लिए प्रदर्शन, भंडारण, या परिवहन करता है अथवा नाशकजीवमार नियंत्रण प्रचालन करता है, ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास हजार रुपए से अधिक नही होगा किंतु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा ।

नाशकजीवमारों के आयात और निर्यात से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दंड ।

45. (1) जो कोई—

(क) इस अधिनियम के उपबंधों या नाशकजीवमारों से संबंधित किसी अन्तरराष्ट्रीय संधि, करार या विनिश्चय के उल्लंघन में किसी नाशकजीवमार का निर्यात या आयात करता है

(ख) सीधे विनिर्माण परिसर और निकास; की अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई है, के सिवाय, देश के भीतर निर्यात के प्रयोजन के लिए किसी नाशकजीवमार का परिवहन करता है या करवाता है जो केवल भारत में रजिस्ट्रीकृत है

(ग) भारत में नाशकजीवमार का वितरण या विक्रय करता है या उपयोग करवाता है अथवा नाशकजीवमार नियंत्रण प्रचालन करता है, जहां ऐसा नाशकजीवमार केवल निर्यात के प्रयोजन के लिए ही रजिस्ट्रीकृत किया गया है,

ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दो वर्ष तक हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच लाख रुपए से कम नही होगा किंतु जो बीस लाख रुपए तक हो सकेगा या या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) इस धारा की कोई बात, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किसी अवसान हुए नाशकजीवमार के निपटान के लिए परिवहन को लागू नहीं होगी ।

अरजिस्ट्रीकृत और गैर अनुज्ञप्त नाशकजीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड ।

46. जो कोई किसी नाशकजीवमार का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, विक्रय के लिए प्रदर्शन, भंडारण या परिवहन :—

(क) किसी ऐसे नाशकजीवमार से जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ; या

(ख) वैध अनुज्ञप्ति के बिना, जहां ऐसी अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा अपेक्षित है,

करता है या नाशकजीवमार नियंत्रण प्रचालन करता है, ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्ष तक हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपए से कम नही होगा किंतु जो चालीस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

मिथ्याकथित नाशकजीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड ।

47. (1) जो कोई, नाशकजीवमार के विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, विक्रय के लिए प्रदर्शन, भंडारण या नाशकजीवमार नियंत्रण प्रचालन के दौरान जानबूझकर या कपटपूर्वक उसकी पहचान, संरचना या स्त्रोत का मिथ्या व्यपदेशन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नही होगा, किंतु जो चालीस लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा या या दोनों से दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रतिषेध के अंतर्गत निम्नलिखित है किंतु उस तक सीमित नहीं है :—

(क) नाशकजीवमार की क्षमता के बारे में या वह उपयोग जिसके लिए इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, के बारे में प्रवंचनापूर्ण दावे;

(ख) नाशकजीवमार की रासायनिक संरचना के बारे में मिथ्या दावे;

(ग) नाशकजीवमार के लेबल या पैकेज पर मिथ्या रजिस्ट्रीकरण संख्या प्रयोग करना;

(घ) रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित तारीख से भिन्न तारीख को नाशकजीवमार के लेबल पर विनिर्माण या अवसान की तारीख के रूप में मुद्रित करना;

(ङ) पुनः पैकिंग या पुनः लेबल लगाने के समय नाशकजीवमार के विनिर्माण की तारीख में परिवर्तन करना;

(च) लेबल, पैकेज या अन्यथा के माध्यम से किसी अन्य विनिर्माता का प्रतिरूपण करना या कोई विनिर्माता तात्पर्यित होना जिसका अस्तित्व नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए:—

(क) "पहचान" से सामान्य नाम, व्यापार नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख, अवसान की तारीख, लेबलिंग, पैकेजिंग, मात्रा या अन्य दस्तावेज अभिप्रेत हैं, जो नाशकजीवमार की प्रामाणिकता का समर्थन करते हैं;

(ख) "संरचना" से नाशकजीवमार की रासायनिक संरचना, जिसके अंतर्गत नाशकजीवमार का जीववैज्ञानिक सक्रिय भाग भी है, और रजिस्ट्रीकरण के समय रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा अनुमोदित अन्य अवयव अभिप्रेत हैं ; और

(ग) "स्त्रोत" से, यथास्थिति, विनिर्माता आयातक या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारक के नाम और पते या नाशकजीवमार की अनुज्ञप्ति समेत पहचान अभिप्रेत है ।

प्रतिबंधित नाशकजीवमार आदि को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड ।

48. जो कोई—

(क) किसी नाशकजीवमार का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, विक्रय के लिए प्रदर्शन या नाशकजीवमार का भंडारण अथवा नाशकजीवमार से नाशक जीव नियंत्रण प्रचालन करता है, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र धारा 22 के अधीन निलंबित, रद्द हो गया है या रद्द समझा गया है अथवा कोई नाशकजीवमार, जिसका अणु या विरचन धारा 22 के अधीन प्रतिबंधित समझा गया है या कोई नाशकजीवमार धारा 35 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है ;

(ख) किसी नाशकजीवमार का वितरण, विक्रय या उपयोग करता है जिसे धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिषेध प्रवर्तन में है ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा,

किंतु जो चालीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या या दोनों से दंडनीय होगा ।

उपहति, घोर उपहति या मृत्यु कारित करने के लिए दंड ।

49. इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में,—

(क) जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करता है, वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा;

(ख) जो कोई किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करता है, वह जुर्माने से जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगा; और

(ग) जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

पश्चातवर्ती अपराध ।

50. यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को पूर्व में कारित करने के पश्चात् इसे पुनः कारित करता है और उसे उसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है तो वह कम से कम दुगुने जुर्माने का दायी होगा जो उस पहली दोषसिद्धि के समय अधिरोपित किया गया था, चाहे वह जुर्माना इस अध्याय में ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने से अधिक हो :

परंतु जहां कोई व्यक्ति धारा 44 के अधीन तीसरी बार या अधिक किसी अपराध का दोषसिद्ध होता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास से भी दंडनीय होने का दायी होगा जो एक वर्ष तक का हो सकेगा ।

दोषसिद्धि के पश्चात् कार्रवाइयां ।

51. (1) जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, नाशकजीवमार के बैच का भंडार जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है, जब्ती का दायी होगा :

परंतु इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, यदि न्यायालय का नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा आवेदन किए जाने पर या अन्यथा तथा आवश्यक जांच

के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि कोई नाशकजीवमार इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में विनिर्मित आयातित, विक्रय, भंडारित, वितरित या नाशक जीव नियंत्रण प्रचालनों के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसा नाशकजीवमार जब्ती का दायी होगा ।

(2) जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन सिद्ददोष किया गया है, वह न्यायालय जिसके समक्ष दोषसिद्धि की गई, अपराधी का नाम और निवास स्थान, अपराध तथा अधिरोपित शास्ति को ऐसे समाचारपत्र में या ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित करवा सकेगा जो न्यायालय निदेश दे ।

कंपनियों द्वारा अपराध ।

52. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कंपनी द्वारा कोई अपराध किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव, या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और

(ख) फर्म के संबंध में निदेशक से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का संज्ञान और विचारण ।

53. (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा और अभियोजन संस्थित किए जाने के लिए सहमति या इंकार ऐसे समय में सूचित की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की प्रतिरक्षाएं ।

54. (1) इस अध्याय के अधीन, अभियोजन में मात्र निम्नलिखित सिद्ध करना कोई प्रतिरक्षा नहीं होगी कि :—

(क) अभियुक्त निम्नलिखित से अनभिज्ञ था :—

(i) नाशकजीवमार की प्रकृति या पदार्थ या गुणवत्ता जिसके संबंध में

अपराध कारित किया गया ; या

(ii) ऐसे नाशकजीवमार के विनिर्माण, विक्रय या उपयोग में अंतर्वलित जोखिम; या

(iii) इसके आयात की परिस्थितियां;

(ख) क्रेता, जिसने केवल परीक्षण या विश्लेषण के प्रयोजन के लिए क्रय किया था, विक्रय द्वारा पूर्वागृहित नहीं था ।

(2) कोई व्यक्ति जो नाशकजीवमार का आयातक या विनिर्माता या उसका अभिकर्ता नहीं है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए दायी नहीं होगा, यदि वह सिद्ध करता है—

(क) कि उसने नाशकजीवमार किसी व्यक्ति से अर्जित किया जिसके पास, किसी नाशकजीवमार को, यथास्थिति, आयात, विनिर्मित, विक्रय, वितरण या भंडार की वैध अनुज्ञप्ति थी ;

(ख) कि उसे ज्ञान नहीं था और युक्तियुक्त तत्परता से यह सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि विनिर्माता या वितरक से प्राप्त नाशकजीवमार अनुमोदित संघटन का नहीं है

(ग) कि उसके कब्जे में रहने के दौरान नाशकजीवमार उचित ढंग से भंडारित किया गया था और वह उसी अवस्था में रहा जब उसने उसे अर्जित किया ।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

नाशकजीवमार गुणों वाले पदार्थों का विनियमन ।

55. (1) नाशकजीवमार गुणों वाले पदार्थ या धारा 14 के खंड (च) के अधीन अधिसूचित एक या अधिक ऐसे पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाली तथा भारत में नाशकजीवमार के रूप में उपयोग नहीं होने के लिए आशयित कोई निर्मिति, ऐसी रीति में विनियमित की जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए :

परंतु केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसे पदार्थों को छूट दे सकेगी ।

(2) यदि धारा 22 के अधीन नाशकजीवमार के बैच की आयु पूर्ण हो गई है या बैच को मिथ्या घोषित कर दिया गया है या उस पर रोक लगा दी गई है या उसे रद्द कर दिया गया है, तो उसे मानव, पशुओं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में पृथक् करके निपटान कर दिया जाएगा ।

छूट ।

56. (1) अपने स्वयं के गृह, रसोई-उद्यान या स्वयं की कृषि भूमि पर उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन का दायी नहीं होगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विनिर्दिष्ट की जाएं, शैक्षणिक, वैज्ञानिक या अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ऐसे क्रियाकलाप करने वाले संगठनों को इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्ही उपबंधों से नाशकजीवमारों के उपयोग के लिए छूट दे सकेगी ।

नाशकजीवमारों की कीमत ।

57. यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उचित कीमत पर नाशकजीवमारों का वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, नाशकजीवमारों की कीमत विनियमित करने के लिए ऐसी शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कृत्यों को करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन कर सकेगी ।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

58. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्ही उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार या बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे तथा, यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले विषयों के लिए, अत्यावश्यकता में रजिस्ट्रीकरण समिति को भी ऐसे निदेश दे सकेगी और समिति ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना ।

59. बोर्ड के सदस्य और अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण समिति, अनुज्ञप्ति अधिकारी, नाशकजीवमार विश्लेषक, नाशकजीवमार निरीक्षक या नाशकजीवमार निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी जब वे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं ।

1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

60. सरकार, या सरकार के किसी अधिकारी, या बोर्ड रजिस्ट्रीकरण समिति या बोर्ड की किसी समिति या रजिस्ट्रीकरण समिति की किसी उपसमिति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन प्रतिकर ।

61. नाशकजीवमार का उपभोक्ता, यथास्थिति, विनिर्माता या वितरक या भंडारकर्ता या खुदरा विक्रेता अथवा नाशकजीव नियंत्रण प्रचालक से नाशकजीवमार के संबंध में किसी हानि या क्षति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगी ।

1986 का 68

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

62. (1) केंद्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और अधिसूचना के पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी :

परंतु बोर्ड के परामर्श से छूट दी जा सकेगी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी परिस्थितियां उद्भूत हो गई हैं, जो ऐसे परामर्श के बिना नियम बनाने की आवश्यक ठहराती है, किंतु ऐसे मामले में, बोर्ड से परामर्श नियम बनाने के छह मास के भीतर किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार ऐसे किन्हीं सुझावों पर विचार करेगी जो ऐसे नियम बनाने के संबंध मे बोर्ड दे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सदस्यों के निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन समिति के सदस्यों के भत्ते ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन परामर्शदाता, विशेषज्ञ, सलाहकार या अन्य व्यक्तियों के निबंधन और शर्तें और ऐसे भत्ते;

(घ) धारा 8 के खंड (ख) के उपखंड (viii) के अधीन अन्य विषय;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य कृत्य ;

(च) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष की अर्हता और अनुभव;

(छ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष के पद के निबंधन;

(ज) धारा 14 के खंड (छ) के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति के अन्य कृत्य;

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद के निबंधन और शर्तें;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप और सूचना ;

(ट) धारा 17 की उपधारा (1) के पहले परन्तुक के अधीन विभिन्न प्ररूप और सूचना ;

(ठ) धारा 17 की उपधारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन प्रक्रिया, प्ररूप और सूचना ;

(ड) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन के लिए फीस;

(ढ) धारा 18 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए प्ररूप;

(ण) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(त) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(थ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन के लिए आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(द) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन की रीति;

(ध) धारा 22 की उपधारा (6) के अधीन अतिक्रमण के सुधार के लिए अवधि;

(न) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की रीति;

(प) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररूप और फीस;

(फ) धारा 26 के अधीन नाशकजीवमार के राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की जाने वली जानकारी;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र तथा फीस;

(भ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति की अर्हताएं तथा अवसंरचना, परिसर, भंडारण और परिवहन से संबंधित अपेक्षाएं ;

(म) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करने की रीति;

(य) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजने की रीति ;

(यक) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन नाशकजीवमारों के विक्रय के

अभिलेख अनुरक्षित करने और अनुज्ञप्ति अधिकारी को अभिलेख प्रस्तुत करने की रीति;

(यख) धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन नाशकजीवमारों की भंडारण स्थिति अभिलिखित करने वाले रजिस्टर के अनुरक्षण की रीति;

(यग) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन अनुग्रह संदाय की मात्रा और प्रक्रिया;

(यघ) धारा 36 के अधीन डिजिटल रूप में अंतर्विष्ट सूचना ;

(यङ) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अनुपालन किए जाने वाले मानक;

(यच) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(यछ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(यज) धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक को परीक्षण और विश्लेषण के लिए नमूने भेजने का समय और रीति;

(यझ) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन नोटिस तामील करने की रीति;

(यञ) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन रसीद का प्ररूप;

(यट) धारा 41 की उपधारा (8) के अधीन नाशकजीवमार के नमूने लेने के प्रयोजन को सूचित करने की रीति;

(यठ) धारा 41 की उपधारा (9) के अधीन हिस्सों की संख्या, नमूने का भार या आयतन;

(यड) धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन आधानों को सीलबंद करने और चिन्हित करने की रीति;

(यढ) धारा 41 की उपधारा (12) के अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा नमूनों के भागों से व्यवहार करने की रीति;

(यण) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन चार प्रतियों में हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति;

(यत) धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त और परीक्षण किए गए नमूनों के अवशेषों के निपटान की रीति;

(यथ) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अवसान हुए नाशकजीवमार के निपटान की रीति;

(यद) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए सहमति या इंकार की सूचना का समय;

(यध) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन नाशकजीवमारों के रूप में आशयित नहीं पदार्थों के विनियमन की रीति;

(यन) धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमारों के पृथक्करण और निपाटन की अवधि और रीति ;

(यप) धारा 57 के अधीन प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य तथा नाशकजीवमारों की कीमतों को विनियमित करने की रीति;

(यफ) कोई अन्य विषय, जो विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जाए ।

(2) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनो सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्श्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

63. (1) राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए, नियमों, यदि कोई हों, से संगत इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति अधिकारी की अर्हताएं ;

(ख) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति अधिकारी की शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन किसी व्यक्ति की अर्हताएं ;

(घ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के संशोधन के निबंधन और शर्तें ;

(ङ) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील का प्ररूप और फीस ;

(च) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(छ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(ज) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जाना अपेक्षित हो ।

(2) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

64. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध करेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र

संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

1968 का 46

65. (1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 इसके द्वारा निरसित किया जाता है । निरसन और व्यावृति ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सथानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कीटनाशी अधिनियम, 1968 (अधिनियम) मनुष्य या जीव-जन्तुओं के प्रति जोखिम को रोकने की दृष्टि से कीटनाशी के आयात, विनिर्माण विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम में, अतिक्रमणों के विरुद्ध पर्याप्त निवारण का अभाव है और कृषकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कोई कठोरतर शास्ति नहीं है । पर्यावरणीय रूप से ठोस रीति में कीमत निर्धारण और निपटान को विनियमित करने के लिए भी कोई तंत्र नहीं है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम पांच वर्षों से अधिक पुराना है और इसके उपबंध वर्तमान समय में नाशकजीवमार के बहुआयामी प्रबंध और प्रशासन के प्रति अनुकूल होने के लिए अपर्याप्त हैं । भारत की बाध्यताओं को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों के साथ संरेखित करना भी महत्वपूर्ण है ।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ऐसे कृषकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए कठोरतर शास्तियां अपेक्षित हैं, जो नाशकजीवमार की अनियंत्रित उपलब्धता को संकट में डालती हैं, जो संदेह और भ्रामक पहचान, संरचना और स्रोत की हैं । नाशकजीवमार के समग्र प्रबंध के लिए तकनीकी मानकों को तैयार करने में कृषकों का प्रतिनिधित्व और उनकी अधिक सहभागिता अपेक्षित है । सभी पणधारियों की आकांक्षाओं में एक संतुलन बनाना भी संगत है ।

3. इस पृष्ठभूमि में, नाशकजीवमार के बेहतर प्रबंध का उपबंध करने वाले एक नए विधान को लाने की आवश्यकता महसूस की गई थी । इसको ध्यान में रखते हुए, कीटनाशी अधिनियम, 1968 को एक नए विधान, अर्थात् नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020 से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है ।

4. प्रस्तावित विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है :—

(i) प्रस्तावित विधान के उपबंधों की पारदर्शिता और उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और उस रीति, जिसमें रजिस्ट्रीकरण समिति की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग किया जाएगा, से संबंधित नियम बनाने के लिए केंद्रीय सरकार को भी समर्थ बनाना ;

(ii) देशी विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उपबंध किया गया है ;

(iii) ऐसे नाशक जीवमारों, जो जैविक हैं और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं, का संवर्धन करने के लिए भी उपबंध किया गया है ;

(iv) नाशकजीवमार को रजिस्ट्रीकृत करते समय, रजिस्ट्रीकरण समिति का, इसकी सुरक्षा तथा प्रभावकारी शक्ति का मूल्यांकन करने के अतिरिक्त, अन्तर्वलित आवश्यकता, अंत्य उपयोग, जोखिम और सुरक्षित विकल्पों की उपलब्धता जैसे कारकों द्वारा भी मार्गदर्शन किया जाएगा ;

(v) नाशकजीवमारों के लिए अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं का निर्धारण अनिवार्य बना दिया गया है ;

(vi) नाशकजीवमारों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के पुनर्विलोकन, निलंबन और रद्दकरण तथा उन पर पाबंदी के लिए उपबंध किया गया है ;

(vii) राज्य सरकारें, उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अनुज्ञापन अधिकारी, नाशकजीवमार निरीक्षक और नाशकजीवमार विश्लेषक के लिए अर्हताएं विहित कर सकेंगी ;

(viii) नाशकजीवमारों की कीमत को विनियमित करने से संबंधित ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण का गठन करने के लिए उपबंध किया गया है ;

(ix) नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के मामले में अनुज्ञप्तियों के मानित प्रतिसंहरण के लिए उपबंध किया गया है ;

(x) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे नाशकजीवमार के साधारण उपयोग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके संबंध में विक्रय करने या स्टाक करने की अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी ;

(xi) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को विहित मानकों के अनुपालन के संबंध में नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला के किन्हीं या सभी कार्यों का संपादन करने के लिए प्राइवेट प्रयोगशालाओं को प्रत्यायित करने के लिए सशक्त करना ;

(xii) 'बाधा के लिए दंड', 'रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन की शर्तों के अतिक्रमण पर दंड', 'नाशकजीवमारों के आयात और निर्यात से संबंधित क्रियाकलापों के लिए दंड', 'अरजिस्ट्रीकृत और अननुज्ञप्त नाशक जीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड', 'मिथ्याकृत नाशक जीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड', 'प्रतिबंधित नाशक जीवमारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों के लिए दंड', 'क्षति, गंभीर क्षति या मृत्यु कारित करने के लिए दंड' आदि जैसी तीव्रता की मात्रा के अनुसार अपराधों को पृथक् रूप से प्रवर्गीकृत किया गया है ;

(xiii) पश्चातवर्ती अपराधों को रोकने के लिए, ऐसे कम से कम दुगुने जुर्माने को अधिरोपित करने के लिए उपबंध किया गया है, जिसे ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने को ध्यान में न रखते हुए, पश्चातवर्ती अपराधों के मामले में प्रथम बार दोषसिद्धि करने के समय अधिरोपित किया गया था ;

(xiv) यह भी उपबंध किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन की शर्तों के अतिक्रमणों के लिए तीसरी बार या उससे अधिक बार दोषसिद्ध किया जाता है तो वह ऐसी अवधि के कारावास के लिए, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, दायी होगा ;

(xv) अन्य बातों के साथ-साथ, केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए उपबंध किया गया है कि वह, यथास्थिति, उन व्यक्तियों या उनके विधिक वारिसों को अनुग्रहपूर्वक संदाय करने के लिए निधि का गठन करे, जिनको नाशकजीवमार के प्रति उपजीविकाजन्य अरक्षितता के कारण विषाक्तिकरण के दौरान क्षति, गंभीर क्षति हुई है या उनकी मृत्यु हो गई है ;

(xvi) केंद्रीय सरकार को, प्रस्तावित विधान या तद्धीन बनाए गए नियमों के

सभी उपबंधों या उनमें से किसी उपबंध को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार, केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और अत्यावश्यकता की दशा में, रजिस्ट्रीकरण समिति को निदेश देने के लिए समर्थ बनाना ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 मार्च, 2020

नरेन्द्र सिंह तोमर

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—विधेयक के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 2—भारत संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता की घोषणा का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 3—विधेयक के विभिन्न उपबंधों में प्रयुक्त कतिपय शब्दों और पदों की परिभाषा के लिए उपबंध करने के लिए है । इन पदों में, अन्य बातों के साथ-साथ, "लेबल", "नाशकजीव", "नाशकजीवमार 'विषाक्तीकरण', नाशकजीवमार का मामूली तौर पर उपयोग", "जोखिम", "तकनीकी श्रेणी नाशकजीवमार" आदि पद भी हैं ।

खंड 4—केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड का, इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों का पालन करने के लिए, गठन करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 5—बोर्ड की संरचना और उसके सदस्यों के पद के निबंधन और शर्तों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 6—बोर्ड की बैठकों के लिए समय और स्थान विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी बैठकों का कोरम भी है, का उपबंध करने के लिए है । खंड यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, बोर्ड से बैठक बुलाने के लिए उस समय अनुरोध कर सकेगी जब उसकी सलाह तुरंत संदर्भ के विषय में अपेक्षित हो और यह मतदान द्वारा निर्णय करने की प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

खंड 7—इस विधेयक के अधीन समितियों के गठन और इसके अधीन कार्य कर रहे बोर्डों के दक्ष निर्वहन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 8—बोर्ड की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 9—रजिस्ट्रीकरण समिति के गठन, संरचना और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि का उपबंध करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अध्यक्ष और इसके सदस्य सचिव के रूप में केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड के सदस्य-सचिव और छह अन्य पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगी । इसके अतिरिक्त, खंड यह उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकरण समिति, ऐसे प्रयोजनों या ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, ऐसे विशेषज्ञों को भी सहयोजित कर सकेगी ।

खंड 10—बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नियोजन पर निर्बंधन का उपबंध करने के लिए है । बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष और सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह, यथास्थिति, बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति का अध्यक्ष या सदस्य नहीं रह जाता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसे अस्तित्व के निदेशक बोर्ड के प्रबंधन से संबंधित कोई नियोजन स्वीकार नहीं करेगा या उसके साथ सेवा की संविदा नहीं करेगा या निदेशक बोर्ड में कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगा, जो किन्हीं ऐसे क्षेत्रों में कारबार चला रहा है, जिसके संबंध में बोर्ड या रजिस्ट्रीकरण समिति अनुसंधान करती है और सिफारिश करती है या केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देती है ।

खंड 11—विभिन्न कारकों का उपबंध करने के लिए है, जो बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण

समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेंगे ।

खंड 12—रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा, ऐसे कर्तव्यों, जो उसे समिति द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किए जाएं, का पालन करने के लिए उपसमितियां के गठन और विशेषज्ञों को सहयोजित करने का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसी उपसमिति द्वारा किया गया कोई विनिश्चय रजिस्ट्रीकरण समिति को अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

खंड 13—रजिस्ट्रीकरण समिति की प्रक्रिया और उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार को संचालित करने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 14—रजिस्ट्रीकरण समिति की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करने के लिए है, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के लिए, आवेदन के बारे में विनिश्चय करना ;

(ii) ऐसी शर्तें विनिर्दिष्ट करना, जिनके अधीन रहते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाता है ;

(iii) रजिस्ट्रीकृत नाशकजीवमारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आवधिक रूप से पुनर्विलोकन करना और नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों को संशोधित या रद्द करना, नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन करना, नाशकजीवमार का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाए रखना, नाशकजीवमारीय गुणधर्म वाले पदार्थों को अधिसूचित करना और ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

खंड 15—केंद्रीय नाशकजीवमार बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति के लिए, ऐसे तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृन्द वाले, जो वह आवश्यक समझे, सचिवालय उपलब्ध कराने का उपबंध करने के लिए है ।

खंड 16—उन नाशकजीवमारों को रजिस्ट्रीकृत करने की अपेक्षा का उपबंध करने के लिए है, जिनमें, कोई व्यक्ति, सामान्य उपयोग, कृषि, भंडारण, उद्योग, नाशकजीव नियंत्रण संक्रियाओं या जन स्वास्थ्य में उपयोग के लिए किसी नाशकजीवमार को आयात करने या उसका विनिर्माण करने की वांछा करता है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए रजिस्ट्रीकरण समिति को आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसा कोई व्यक्ति एक से अधिक नाशकजीवमार का आयात करने या उसका विनिर्माण करने की वांछा करता है तो ऐसे प्रत्येक नाशकजीवमार के लिए पृथक् आवेदन करेगा ।

खंड 17—नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का उपबंध करने के लिए है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और उसमें ऐसी सूचना अंतर्विष्ट होगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे । खंड यह और उपबंध करता है कि भिन्न-भिन्न प्ररूप और सूचना इस बात पर निर्भर करते हुए विहित की जा सकेगी कि क्या नाशकजीवमार आयात किए जाने या विनिर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित है या क्या उसका भारत में या भारत से बाहर उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, और उस उपयोग पर भी, जिसके लिए नाशकजीवमार आशयित है । खंड, ऐसे नाशकजीवमार, जो जैविक हैं और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हैं, का संवर्द्धन करने के लिए और देशी विनिर्माण, सरलीकृत प्रक्रिया, प्ररूप और

सूचना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, को प्रोत्साहित करने के लिए भी उपबंध करता है ।

खंड 18—रजिस्ट्रीकरण के बारे में विनिश्चय करने का उपबंध करने के लिए है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण समिति, आवेदन की संवीक्षा करेगी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन करने के लिए स्वतंत्र जांच करेगी, प्राप्त रजिस्ट्रीकरण के लिए सभी आवेदनों का एक ऑनलाइन डाटाबेस बनाए रखेगी, आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का मूल्यांकन करेगी और नाशकजीवमारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, आवश्यकता, अंत्य उपयोग, अंतर्वलित जोखिम और नाशकजीवमार के लिए सुरक्षित विकल्पों की उपलभ्यता जैसे कारकों द्वारा भी मार्गदर्शित होगी । इसके अतिरिक्त, रजिस्ट्रीकरण समिति, किसी नाशकजीवमार को रजिस्टर नहीं करेगी, यदि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या या भ्रामक है, नाशकजीवमार को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए इंकार कर सकेगी, यदि उसके जोखिमों और फायदों के बारे में कोई वैज्ञानिक अनिश्चितता है और मनुष्य स्वास्थ्य, अन्य जीवित जीवों या पर्यावरण के लिए गंभीर और अनुत्क्रमणीय नुकसान की आशंका है ।

खंड 19—सामान्य नाशकजीवमारों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने का उपबंध करने के लिए है, जहां रजिस्ट्रीकरण समिति ने किसी नाशकजीवमार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है और यदि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति, जो धारा 18 के अधीन प्रदत्त मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक नहीं है, और उसी नाशकजीवमार के आयात या विनिर्माण करने का इच्छुक है, तो वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए समिति को आवेदन करेगा ।

खंड 20—संप्रेक्षण के लंबित रहने तक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का उपबंध करने के लिए है । यदि कोई व्यक्ति, जो ऐसे नाशकजीवमार के आयात या विनिर्माण करने का इच्छुक है, जो भारत में पहली बार प्रयोग किया जाएगा, तो वह रजिस्ट्रीकरण समिति को ऐसे प्ररूप में, ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी फीस के साथ आवेदन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । खंड यह और उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकरण समिति, संप्रेक्षण के लंबित रहने तक, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी, जिसके दौरान आवेदक धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक जानकारी सृजित करेगा । खंड यह भी उपबंध करता है कि ऐसी अवधि के दौरान, जिसके लिए नाशकजीवमार को अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है, रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिश्चित अत्यावश्यकता की दशा के सिवाय, ऐसे नाशकजीवमार का विक्रय या वितरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । खंड यह भी उपबंध करता है कि अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान पर या ऐसी अवधि के पूर्व किसी भी समय जब उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी सृजित की गई है, वह व्यक्ति, जिसे यह प्रदान किया गया है, धारा 17 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा, यदि वह नाशकजीवमार के आयात या विनिर्माण करने का इच्छुक है ।

खंड 21—विधेयक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन का उपबंध करता है, जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक जो प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र प्रदान करते समय रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किसी शर्त में संशोधन किए जाने का इच्छुक है वह

समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस से सहयुक्त आवेदन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । धारा 18 के अधीन प्रदत्त नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का संशोधन का धारा 19 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों पर ऐसा प्रभाव ऐसी रीति में होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

खंड 22—विधेयक का खंड 22 रजिस्ट्रीकरण का पुनर्विलोकन, निलंबन और रद्द किया जाना तथा निशकजीवमारों पर पाबंदी और प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरणो के संबंध में इन सभी क्रियाकलापों के ब्यौरों का उपबंध करता है जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के पश्चात् नाशकजीवमार की सुरक्षा या प्रभावकारिता से संबन्धित किसी सूचना या अन्य देशों में इसके रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति निर्बंधन या रोक सहित यदि समिति को प्रस्तुत किसी जानकारी में कोई परिवर्तन होता है तो इसे रजिस्ट्रीकरण समिति को सूचित करेगा । रजिस्ट्रीकरण समिति किसी भी समय धारा 18 या 19 के अधीन प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का, जो उस नाशकजीवमार के अणु या विनिर्मिति का जिसके संबंध में प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है । पुनर्विलोकन कर सकेगी । पुनर्विलोकन का संचालन करते समय रजिस्ट्रीकरण समिति रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के धारक को सुनवाई का अवसर देगी और जहां धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किए गए प्रतिषेद्ध के आधार पर पुनर्विलोकन संचालित किया जाता है वहां यह यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से परामर्श करेगी । रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा लिया गया निर्णय लिखित रुप से लेखबद्ध किया जाएगा और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा ।

खंड 23—विधेयक का खंड 23 कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है, जिसमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कीटनाशी को इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा । यह और उपबंध करता है कि अवधि के अवसान के पूर्व ऐसे कीटनाशी के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का धारक इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर ऐसी रीति में नाशकजीवमार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

खंड 24—विधेयक का खंड 24 रजिस्ट्रीकरण समिति के निर्णय से केन्द्रीय सरकार को अपील का उपबंध करता है, जो अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अभिवचनों के पूरा होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी ।

खंड 25—विधेयक का खंड 25 केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण की शक्ति का उपबंध करता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार, किसी समय, किसी मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति ने निर्णय दिया है अभिलेख को मंगा सकेगी और ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो यह ठीक समझे ।

खंड 26—विधेयक का खंड 26 उपबंध करता है कि रजिस्ट्रीकरण समिति नाशकजीवमारों का राष्ट्रीय रजिस्टर डिजिटल प्ररूप में अनुरक्षित करेगी जिसमें ऐसी सूचनाएं अंतर्विष्ट होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

खंड 27—विधेयक का खंड 27 उपबंध करता है कि राज्य सरकार ऐसी अर्हताओं वाले किसी व्यक्ति को अनुज्ञापन अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी, और अनुज्ञापन अधिकारी ऐसे शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

खंड 28—विधेयक का खंड 28 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अपेक्षा का उपबंध करता है । कोई व्यक्ति जो, नाशकजीवमार का विनिर्माण, वितरण या विक्रयार्थ प्रदर्शन, विक्रय या स्टॉक करने का इच्छुक है, या नाशकजीव नियंत्रण प्रचालनों को करने का वचनबंध करता है, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अनुज्ञापन अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस से सहयुक्त आवेदन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, साधारण प्रयोग के नाशकजीवमार को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन विक्रय या भंडारण के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं है ।

खंड 29—विधेयक का खंड 29 अनुज्ञप्ति का दिया जाना उपबंधित करता है जिसमें अनुज्ञापन अधिकारी का, निरीक्षण के आधार पर और धारा 28 की उपधारा (2) की अपेक्षाओं के मूल्यांकन के पश्चात् यह समाधान होता है कि, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह धारा 28 के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आवेदक को ऐसे निबंधनों और शर्तें पर अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं ।

खंड 30—विधेयक का खंड 30 अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण और संशोधन का उपबंध करता है अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञप्ति के निबंधनों या शर्तों को जिनके अधीन इसे दिया गया था, संशोधित कर सकेगा । यदि अनुज्ञापन अधिकारी का यह समाधान होता है कि जिस सूचना के आधार पर अनुज्ञप्ति दी गई थी वह मिथ्या थी या किसी तात्विक विशिष्टि के बारे में भ्रामक थी, या अनुज्ञप्ति के धारक ने उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है जिनके अधीन यह दी गई थीं; या अनुज्ञप्ति के धारक ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन किया है ।

खंड 31—विधेयक का खंड 31 का कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन अनुज्ञप्तियां अनुदत्त करने का उपबंध करता है, जो उस अधिनियम के अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति के दिए जाने के समय विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी । यह और उपबंध करता है कि जब कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति का अवसान हो जाता है तब नई अनुज्ञप्ति दिए जाने के लिए आवेदन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

खंड 32—विधेयक का खंड 32 अनुज्ञप्तियाँ, विक्रय और स्टार स्थिति की सूचना का उपबंध करता है । अनुज्ञापन अधिकारी राज्य सरकार को मासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा और राज्य सरकार रिपोर्ट को समेकित करेगी और प्रत्येक छह मास में इसे केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति से प्रेषित करेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । यह और उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति, जो नाशकजीवमारों का विक्रय करता है वह नाशकजीवमार के विक्रय का अभिलेख अनुरक्षित करेगा और अनुज्ञापन अधिकारी को अभिलेख ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । प्रत्येक आयातक या विनिर्माता भी नाशकजीवमारों के स्टाक की स्थिति को अभिलिखित करते हुए एक रजिस्टर का अनुरक्षण ऐसी रीति से करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

खंड 33—विधेयक का खंड 33 अनुज्ञापन अधिकारी के निर्णय से राज्य सरकार को अपील का उपबंध करता है । अपील की प्राप्ति पर राज्य सरकार, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील का निपटारा करेगी ।

खंड 34—विधेयक का खंड 34 विषाक्तता की सूचना से संबंधित है । राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग से अपेक्षा करेगी कि उसके या उनके संज्ञेय में आ रहे विषाक्तता की सभी घटनाओं की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी को करे जो अधिसूचना में विहित किया जाए । राज्य सरकार इसकी अधिकारिता के भीतर विषाक्तता की घटनाओं का विश्लेषण और पुनर्विलोकन करेगी और केन्द्रीय सरकार को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । केन्द्रीय सरकार एक निधि का गठन करेगी जिसका यथास्थिति ऐसे व्यक्तियों या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को अनुग्रही संदाय के लिए उपयोग किया जाएगा जिनको विषाक्तता के अनुक्रम में उपहति, घोर उपहति हुई है या मृत्यु हुई है । तथापि, अनुग्रही संदाय की मात्रा और प्रक्रिया वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

खंड 35—विधेयक का खंड 35 लोक हित में नाशकजीवमारों पर प्रतिषेध और नाशकजीवमारों पर पाबंदी का उपबंध करता है । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, किसी भी समय, रजिस्ट्रीकरण समिति को यह निर्देश कर सकेगी कि नाशकजीवमार जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया गया है के अणु या विनिर्मिति की सुरक्षा या प्रभावकारिता का पुनर्विलोकन करे, और धारा 22 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे पुनर्विलोकन को लागू होंगे । रजिस्ट्रीकरण समिति अपना पुनर्विलोकन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर पूरा करेगी । यह और उपबंध है कि यदि रजिस्ट्रीकरण समिति को उपलब्ध सूचना निर्णय को एक वर्ष के भीतर देने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो, यह अवधि और एक सौ अस्सी दिन से अनधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी । पाबंदी लगाए गए नाशकजीवमार के अणु या विनिर्मिति के संबंध में प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण के सभी प्रमाणपत्रों को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से रद्द समझा जाएगा ।

खंड 36—विधेयक का खंड 36 उपबंध करता है कि राज्य सरकार नाशकजीवमीरों पर ऐसी सूचनाओं से अंतर्विष्ट समेकित राज्य स्तरीय डाटाबेस डिजिटल प्ररुप में अनुरक्षित करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

खंड 37—विधेयक का खंड 37 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशक के नियंत्रण के अधीन एक केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इसको सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए कर सकेगी । केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला के ऐसे कृत्यों के निष्पादन के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी अन्य प्रयोगशाला को जो यह ठीकसमझे, अभिहित कर सकेगी ।

खंड 38—विधेयक का खंड 38 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निदेशकों के नियंत्रण के अधीन नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन इसको सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए कर सकेगी । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा यथानिदेशित नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशाला के कृत्य ऐसी अन्य लोक संस्थाओं द्वारा किए जाएंगे । मानकों के अनुपालन पर इस निमित्त प्राधिकृत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशालाओं के सभी या किन्हीं कृत्यों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, को करने के लिए निजी

प्रयोगशालाओं को मान्यता दे सकेंगी जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

खंड 39—विधेयक का खंड 39 नाशकजीवमार विश्लेषक और नीशकजीवमार निरीक्षक की नियुक्ति का उपबंध करने के लिए है, जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को जिसे यह ठीक समझे, जो ऐसी तकनीकी और अन्य अर्हताएं जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं, रखने वाले व्यक्तियों को ऐसे क्षेत्रों के लिए और उन नाशकजीवमार या नाशकजीवमार के वर्ग की बाबत, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, नाशकजीवमार विश्लेषक के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

खंड 40—विधेयक का खंड 40 नाशकजीवमार निरीक्षक की शक्तियों का उपबंध करता है ।

ऐसी शक्तियों में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा—

(क) वह किसी परिसर में प्रवेश करे तथा तलाशी ले जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या इसके नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है और किसी नाशकजीवमार के नमूने ले जिसका विनिर्माण विक्रय, भंडारण, प्रदर्शन, विक्रय आमंत्रण या वितरण किया जा रहा है ।

(ख) किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज़ या नाशकजीवमार के डीलर, वितरक, विनिर्माता, आयातक, विक्रेता, वाहक, नाशकजीव नियंत्रण संचालक या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा पेश करने की अपेक्षा करे, और निरीक्षण करे, परीक्षा करे, या अभिग्रहीत करे ;

(ग) लिखित आदेश के माध्यम से और कार्यपालक मजिस्ट्रेट पूर्व अनुज्ञा से , नाशकजीवमार का वितरण, विक्रय, उपयोग या निपटारा जिसका उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि यह इस अधिनियम या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में वितरित, विक्रीत, उपयोग या इसका निपटारा किया जा रहा है, को साठ दिन से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या नाशकजीवमार विश्लेषक के रिपोर्ट की प्राप्ति तक, इसमें से जो भी शीघ्र हो, रोकना।

खंड 41—विधेयक का खंड 41 नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध करता है । कोई नाशकजीवमार निरीक्षक किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य सारवान् वस्तु या नाशकजीवमार के भंडार का अभिग्रहण करता है, तो वह, यथाशीघ्र, ऐसे अभिग्रहण के बारे में न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा और इसकी अभिरक्षा के लिए आदेश प्राप्त करेगा । यह नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा नमूने की रीति का भी उपबंध करता है ।

खंड 42—यह उपबंध करता है कि नाशकजीवमार विश्लेषक, जिसे परीक्षण या विश्लेषण के लिए किसी नाशकजीवमार का नमूना प्रस्तुत किया गया है, तीस दिन की अवधि के भीतर नाशकजीवमार निरीक्षक को ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, चार प्रतियों में हस्ताक्षरित रिपोर्ट परिदत्त करेगा ।

खड 43—विधेयक का खंड 43 उपबंध करता है कि जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग में या कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अधिकारी को बाधा पहुंचाता है, ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा, जो पच्चीस हजार रुपए

से कम नहीं होगा किंतु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा ।

खंड 44—विधेयक का खंड 44 रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्तिकरण की शर्तों के अतिरक्रमण पर प्रतिषेध के लिए दंड का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है कि जो कोई रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अतिक्रमण में या अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण में किसी नाशकजीवमार का विनिर्माण, आयात, वितरण, विक्रय, विक्रय के लिए प्रदर्शन, भंडारण, या परिवहन करता है अथवा नाशकजीवमार नियंत्रण प्रचालन करता है, ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास हजार रुपए से अधिक नही होगा किंतु जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा ।

खंड 45—विधेयक का खंड 45 उपबंध करता है कि जो कोई उपबंधों के उल्लंघन में किसी नाशकजीवमार का निर्यात या आयात करता है तो ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच लाख रुपए से कम नही होगा किंतु जो बीस लाख रुपए तक हो सकेगा या ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो दो वर्ष तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

खंड 46—विधेयक का खंड 46 अरजिस्ट्रीकृत और गैर अनुज्ञप्त नाशकजीवमारो को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों पर प्रतिषेध के लिए दंड का उपबंध करता है, जो ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपए से कम नही होगा किंतु जो चालीस लाख रुपए तक हो सकेगा या ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो तीन वर्ष तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

खंड 47—विधेयक का खंड 47 मिथ्याकथित नाशकजीवामारों को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों पर प्रतिषेध के लिए दंड का उपबंध करता है जो ऐसे जुर्माने से, जो दस लाख रुपए से कम नही होगा, किंतु जो चालीस लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक हो सकेगा, दंडनीय होगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

खंड 48—विधेयक का खंड 48 प्रतिबंधित नाशकजीवमार आदि को अंतर्वलित करने वाले क्रियाकलापों पर प्रतिषेध के लिए दंड का उपबंध करता है जो ऐसे जुर्माने से दंडनीय होगा जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा, किंतु जो चालीस लाख रुपए तक का हो सकेगा या ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

खंड 49—विधेयक का खंड 49 उपहति, घोर उपहति या मत्यु कारित करने या उसमें योगदान करने के लिए दंड का उपबंध करता है जो, पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पंद्रह लाख रुपए तक हो सकेगा; और जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करता है, वह जुर्माने से जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो पचास लाख रुपए तक हो सकेगा या ऐसी अवधि के कारावास से जो पांच वर्ष तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा ।

खंड 50—विधेयक का खंड 50 पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड का उपबंध करता है । यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को पूर्व में कारित करने के पश्चात् इसे पुनः कारित करता है और उसे उसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है तो वह कम से कम दुगुने जुर्माने का दायी होगा जो उस पहली दोषसिद्धि के समय अधिरोपित किया गया था, चाहे वह जुर्माना इस अध्याय में ऐसे अपराध के लिए उपबंधित

अधिकतम जुर्माने से अधिक हो ।

खंड 51—विधेयक का खंड 51 इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष के पश्चात् कार्रवाई का उपबंध करता है, नाशकजीवमार के बैच का भंडार जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है, जब्ती का दायी होगा । न्यायालय के निदेश पर अपराधी का नाम और निवास स्थान, अपराध तथा अधिरोपित शास्ति को ऐसे समाचारपत्र में प्रकाशित करवा सकेगा ।

खंड 52—विधेयक का खंड 52 कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध करता है तथा स्पष्टीकरण कंपनी और निदेशक से संबंधित है ।

खंड 53—विधेयक का खंड 53 कि अपराधों का संज्ञान और विचारण का उपबंध करता है । यह उपबंध करता है इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा लिखित सहमति के सिवाय संस्थित नहीं किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

खंड 54—विधेयक का खंड 54 इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की प्रतिरक्षाओं का उपबंध करता है ।

खंड 55—विधेयक का खंड 55 नाशकजीवमार गुणों वाले पदार्थों के विनियमन का उपबंध करता है । नाशकजीवमार गुणों वाले पदार्थ या धारा 14 के खंड (च) के अधीन अधिसूचित एक या अधिक ऐसे पदार्थों को अंतर्विष्ट करने वाली तथा भारत में नाशकजीवमार के रूप में उपयोग नहीं होने के लिए आशयित कोई निर्मिति, ऐसी रीति में विनियमित की जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए । यह और उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार रजिस्ट्रीकरण समिति की सिफारिशों पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्हीं उपबंधों से ऐसे पदार्थों को छूट दे सकेगी ।

खंड 56—विधेयक का खंड 56 उपबंध करता है कि अपने स्वयं के गृह, रसोई-उद्यान या स्वयं की कृषि भूमि पर उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति या शैक्षणिक, वैज्ञानिक या अनुसंधान प्रयोजनों के लिए ऐसे क्रियाकलाप करने वाले संगठनों को नाशकजीवमारों के उपयोग के लिए केन्द्रीय सरकार छूट दे सकेगी ।

खंड 57—विधेयक का खंड 57 केन्द्रीय सरकार को नाशकजीवमारों की कीमत विनियमित करने के लिए ऐसी शक्तियों के प्रयोग और ऐसे कृत्यों को करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने का उपबंध करता है ।

खंड 58—विधेयक का खंड 58 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के सभी या किन्ही उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार या बोर्ड को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे तथा, यथास्थिति, राज्य सरकार या बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करेगा तथा केन्द्रीय सरकार अत्यावश्यकता में रजिस्ट्रीकरण समिति को भी ऐसे निदेश दे सकेगी और समिति ऐसे निदेशों का पालन करेगी ।

खंड 59—विधेयक का खंड 59 उपबंध करता है कि बोर्ड के सदस्य और अधिकारी,

रजिस्ट्रीकरण समिति, अनुज्ञप्ति अधिकारी, नाशकजीवमार विश्लेषक, नाशकजीवमार निरीक्षक या नाशकजीवमार निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं ।

खंड 60—विधेयक का खंड 60 उपबंध करता है कि सरकार, या सरकार के किसी अधिकारी, या बोर्ड रजिस्ट्रीकरण समिति या बोर्ड की किसी समिति या रजिस्ट्रीकरण समिति की किसी उपसमिति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए संरक्षण प्रदान किया जाएगा ।

खंड 61—विधेयक का खंड 61 उपबंध करता है कि नाशकजीवमार का उपभोक्ता, यथास्थिति, विनिर्माता या वितरक या भंडारकर्ता या खुदरा विक्रेता अथवा नाशकजीव नियंत्रण प्रचालक से नाशकजीवमार के संबंध में किसी हानि या क्षति के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के उपबंधों के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा ।

खंड 62—विधेयक का खंड 62 उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, रखा जाएगा ।

खंड 63—विधेयक का खंड 63 उपबंध करता है कि राज्य सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए, नियमों, यदि कोई हों, से संगत इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां राज्य विधान मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 64—विधेयक का खंड 64 उपबंध करता है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध करेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जैसा इसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो । परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा । इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसे किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 65—विधेयक का खंड 65 कीटनाशी अधिनियम, 1968 के निरसन का उपबंध करता है और ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्सथानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 विधेयक के प्रशासन से उद्भूत होने वाले वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए केन्द्रीय नाशकजीवमार बोर्ड के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 के उपखंड (1) की मद (ड.) बोर्ड के सदस्यों के रुप में कृषकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्तियों का उपबंध करती है, जिनमें से कम से कम एक स्त्री होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएं ।

विधेयक का खंड 7 का उपखंड (1) समितियों के गठन और ऐसी समितियों में व्यक्तियों की नियुक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 7 के उपखंड (3) और उपखंड (4) बोर्ड की समितियों के सदस्यों, परामर्शदाताओं, विशेषज्ञों, सलाहकारों, अन्य व्यक्तियों के भत्तों का उपबंध करते हैं ।

विधेयक का खंड 8 के उपखंड (1) की मद (घ) बोर्ड के विद्यमान नाशकजीवमारों के लिए सुरक्षित विकल्पों, जिनके अंतर्गत कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियां भी हैं, का विकास और उनकी उपलब्धता पर अनुसंधान , रजिस्ट्रीकृत नाशकजीवमारों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और विषाक्तता ; अन्य देशों में नाशकजीवमारों के क्षेत्र में, जो भारत के भागों या संपूर्ण भारत के लिए अंगीकृत की जा सके, का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड, 9, विधेयक द्वारा या उसके अधीन उसे समनुदेशित कृत्यों के कार्यान्वयन हेतु रजिस्ट्रीकरण समिति के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 15 का उपखंड (1) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति को ऐसे तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद उपलब्ध कराएगी जो वह आवश्यक समझे ।

विधेयक का खंड 34 का उपखंड (4) उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार एक निधि का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा –(क) कोई रकम,जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक विनियोजन के पश्चात् उपलब्ध कराए (ख) इस विधेयक के किन्हीं उपबंधों के उल्लंघन के लिए न्यायालय आरोपित शास्तियाँ ।

विधेयक का खंड 37 का उपखंड (1) इस विधेयक द्वारा या इसके अधीन सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए केन्द्रीय नाशकजीवमार प्रयोगशाला की स्थापना का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 38 का उपखंड (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा नाशकजीवमार परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 39 विधेयक द्वारा या उसके अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक या नाशकजीवमार विश्लेषक की नियुक्ति, उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 57 नाशकजीवमारों की कीमत विनियमित करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों को करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन का उपबंध

करता है ।

2. वर्तमान में, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (जिसका निरसन वर्तमान विधेयक द्वारा किया जा रहा है) के उपबंधों के अधीन गठित केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड और रजिस्ट्रीकरण समिति, प्रचालन में है । केन्द्रीय सेक्टर स्कीम पादप संरक्षण और पादप संगरोध पर उप मिशन (एस एम पी पी क्यू) हेतु कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा निधियों का आबंटन किया जाता है । एस एम पी पी क्यू के लिए आबंटित रकम में से, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए 35.25 करोड़ रुपए की रकम तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 45.00 करोड़ रुपए की रकम आबंटित की गई है तथा कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई है । प्रस्तावित नाशकजीवमार प्रबंध विधेयक, 2020 के लिए व्यय कीटनाशी अधिनियम, 1968 के प्रशासन हेतु बजटीय उपबंधों से प्राथमिक रुप से पूरा किया जाएगा, जो वर्तमान विधेयक के पारित होने के साथ निरसित हो जाएगा ।

3. अतिरिक्त निधियां, यदि अपेक्षित हों तो इस प्रयोजन के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग के विद्यमान आबंटनों में से सहयोग के माध्यम के प्रदान की जाएगी ।

4. विधेयक में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 62, केंद्रीय सरकार को, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और अधिसूचना के पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, विधेयक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है । इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा :—

(क) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन नामित सदस्यों के निबंधन और शर्तें ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन समिति के सदस्यों के भत्ते ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन परामर्शदाता, विशेषज्ञों, सलाहकारों या अन्य व्यक्तियों के निबंधन और शर्तें और ऐसे भत्ते ;

(घ) धारा 8 के खंड (ख) के उपखंड (viii) के अधीन कोई अन्य विषय ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन अन्य कृत्य ;

(च) धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रीकरण समिति के अध्यक्ष की अर्हता और अनुभव ;

(छ) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन समिति के अध्यक्ष के पद के निबंधन ;

(ज) धारा 14 के खंड (छ) अधीन के रजिस्ट्रीकरण समिति के अन्य कृत्य ;

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन तकनीकी और अन्य कर्मचारिवृंद के निबंधन और शर्तें ;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप और सूचना ;

(ट) धारा 17 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के अधीन भिन्न-भिन्न प्ररूप और सूचना ;

(ठ) धारा 17 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन प्रक्रिया, प्ररूप और सूचना ;

(ड) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन आवेदन के लिए फीस ;

(ढ) धारा 18 की उपधारा (8) के अधीन आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की रीति ;

(ण) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(त) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(थ) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन संशोधित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप और फीस ;

(द) धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के संशोधन की रीति ;

(ध) धारा 22 की उपधारा (6) के अधीन अतिक्रमण के सुधार के लिए अवधि ;

(न) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमारों के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की रीति ;

(प) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन अपील का प्ररूप और फीस ;

(फ) धारा 26 के अधीन नाशकजीवमार के राष्ट्रीय रजिस्टर में अंतर्विष्ट की

जाने वाली जानकारी ;

(ब) धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति का आवेदन प्ररूप तथा फीस ;

(भ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति की अर्हताएं तथा अवसंरचना, परिसर, भंडारण और परिवहन से संबंधित अपेक्षाएं ;

(म) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार को अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा मासिक रिपोर्ट देने की रीति ;

(य) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजने की रीति ;

(यक) धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन नाशकजीवमारों के विक्रय के अभिलेख अनुरक्षित करने और अनुज्ञप्ति अधिकारी को अभिलेख प्रस्तुत करने की रीति ;

(यख) धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन नाशकजीवमारों की भंडारण स्थिति अभिलिखित करने वाले रजिस्टर के अनुरक्षण की रीति ;

(यग) धारा 34 की उपधारा (6) के अधीन अनुग्रहपूर्वक संदाय की मात्रा और ऐसे संदाय के लिए प्रक्रिया ;

(यघ) धारा 36 के अधीन डिजिटल रूप में अंतर्विष्ट सूचना ;

(यङ) धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अनुपालन किए जाने वाले मानक ;

(यच) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(यछ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(यज) धारा 40 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक को परीक्षण और विश्लेषण के लिए नमूने भेजने की रीति ;

(यझ) धारा 40 की उपधारा (3) के अधीन कारण बताओ सूचना तामील करने की रीति ;

(यञ) धारा 41 की उपधारा (7) के अधीन रसीद का प्ररूप ;

(यट) धारा 41 की उपधारा (8) के अधीन नाशकजीवमार के नमूने लेने की रीति ;

(यठ) धारा 41 की उपधारा (9) के अधीन नमूनों के भागों की संख्या, उनका भार या आयतन ;

(यड) धारा 41 की उपधारा (10) के अधीन आधानों को सीलबंद करने और उन्हें चिन्हित करने की रीति ;

(यढ) धारा 41 की उपधारा (12) के अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक द्वारा नमूनों के भागों से व्यवहार करने की रीति ;

(यण) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन चार प्रतियों में हस्ताक्षरित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रीति ;

(यत) धारा 42 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त और परिक्षण किए गए नमूनों के अवशेषों के निपटान की रीति ;

(यथ) धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अवसान हुए नाशकजीवमार के निपटान की रीति ;

(यद) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन अभियोजन संस्थित करने के लिए सहमति या इंकार की सूचना का समय ;

(यध) धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन नाशकजीवमारों के रूप में उपयोग के लिए अनाशयित पदार्थों के विनियमन की रीति ;

(यन) धारा 55 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमारों के पृथक्करण और निपटान की अवधि और रीति ;

(यप) धारा 57 के अधीन प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य तथा नाशकजीवमारों की कीमतों को विनियमित करने की रीति ;

(यफ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

2. विधेयक का खंड 63, राज्य सरकार को, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् और विधेयक के उपबंधों को पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु, सशक्त करता है । इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा :—

(क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी की अर्हताएं ;

(ख) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापन अधिकारी की शक्तियां और कृत्य ;

(ग) धारा 29 की उपधारा (4) के अधीन व्यक्ति की अर्हताएं ;

(घ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए शर्तें ;

(ङ) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील का प्ररूप और फीस ;

(च) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन नाशकजीवमार विश्लेषक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(छ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन नाशकजीवमार निरीक्षक की तकनीकी और अन्य अर्हताएं ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

3. वे विषय, जिनके संबंध में पूर्वोक्त उपबंधों के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरों के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना संभव नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

MGIPMRND—6114RS(CRC)—18-03-2020.